

Joint Committee Inspection Report

Submitted in reference to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT)
Central Bench, Bhopal
Order dated 02/02/2024.

In the matter of

Original Application No.18/2024 (CZ)

suo moto action on the newspaper article published in Dainik Jagaran daily dt 1st february 2024 regarding illegal mining in Bhind District MP and assault on the police person by the illegal sand miner v/s State of Madhya Pradesh.

Members of the Committee: -

5. *It is appropriate to constitute a committee with the following persons:*

- 1. One representative from the Collector, Bhind*
- 2. One representative from the State Pollution Control Board*
- 3. One representative from the Administrative officials who were on duty on that day.*

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

O.A. No. 18/2024

CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

SUO MOTO ACTION ON THE NEWSPAPER ARTICLE PUBLISHED IN DAINIK JAGARAN DAILY DT 1ST FEBRUARY 2024 REGARDING ILLEGAL MINING IN BHIND DISTRICT MP AND ASSAULT ON THE POLICE PERSON BY THE ILLEGAL SAND MINER V/S STATE OF MADHYA PRADESH.

INDEX

S.No.	Particular	Page No.
1.	Joint Committee Inspection report	1-18
2.	Copy of Roj Namcha	Annexure- C1 9
3.	A written statement of SI Shri Kamal Kant Dubey about the incident and status of further action taken by police department against the accused	Annexure- C2 10-11
4.	Copy of FIR	Annexure- C3 12-18
5.	Photographs of this taken by Joint committee during visit	Annexure-C4 19-20
6.	Copy of property seizure memos 08 nos.	Annexure-C5 21-34
7.	Hectare and copy of related order of Madhya Pradesh Government dated 31.05.2023	Annexure-C6 35-38
8.	The quarry lease of the sand mines of district Bhind is granted to MPSMCL (Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited) by Collector Bhind on dated 29.09.2023 through registered quarry lease agreement for 10 years period.	Annexure-C7 39-49
9.	Photographs of site taken during visit	Annexure-8 50-52
10.	Vakalatnama	Annexure-9 53

Date: 07.03.2024

**FILED BY
MPPCB**



**PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB**

Ph.No.:(+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 869 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर,

दिनांक 04/03/2024

प्रति,

डायरेक्टर पर्यावरण (विधिक),
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच, द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2024 suo moto action on the news paper article published in dainik jagaran daily dt 1st february 2024 regarding illegal mining in bhind district mp and assault on the police person by the illegal sand miner vs State of Madhya Pardesh & Ors. के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 02/02/2024 के अनुपालन बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच, द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2024 "suo moto action on the news paper article published in dainik jagaran daily dt 1st february 2024 regarding illegal mining in bhind district mp and assault on the police person by the illegal sand miner VS State of Madhya Pardesh & Ors." के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 02/02/2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 22/02/2024 को निरीक्षण किया गया। फेक्च्यूअल एवं एक्सन टेकन रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(आर. आर. सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

BY

JOINT COMMITTEE


IN

APPLICATION O.A. NO. 18/2024 (CZ)

**SUO MOTO ACTION ON THE NEWS PAPER ARTICLE PUBLISHED IN
DAINIK JAGARAN DAILY DT 1ST FEBRUARY 2024 REGARDING ILLEGAL
MINING IN BHIND DISTRICT MP AND ASSAULT ON THE POLICE PERSON
BY THE ILLEGAL SAND MINER**

V/S

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.



Joint Committee visit date: 22.02.2024

Report Submission date: 04.03.2024

Place: Survey No. 1, village Hilgawan, Gram Panchayat Dauhai, Tehsil Raun, District Bhind.

Joint Committee Report

Ref: Inspection of the joint committee dated 22.02.2024 as per the orders of Hon'ble NGT in case of OA 18/2024 (CZ) dated 02.02.2024 suo moto action on the newspaper article published in Dainik Jagaran daily dt 1st february 2024 regarding illegal mining in Bhind District MP and assault on the police person by the illegal sand miner v/s State of Madhya Pradesh.

Hon'ble NGT in reference to OA 18/2024 (CZ) Suo moto action on the newspaper article published in Dainik Jagaran daily dt 1st february 2024 regarding illegal mining in Bhind District MP and assault on the police person by the illegal sand miner v/s State of Madhya Pradesh vide order dated 02.02.2024 has given following instructions:

“1 The Newspaper article published in “Danik Jagaran Daily” dated 01.02.2024 highlighted the illegal sand mining in the District Bhind of Madhya Pradesh and assault on the police force by the violators of law during the course of illegal sand mining and checking. The article further reveals that when the police officers and officials tried to stop the violators of law and the person involved in illegal sand mining, they attacked the police personals who sustained grave injuries on the head and they also tried to snatch duty weapons from other constable. The continuous illegal sand mining in the area of Bhind has been taken cognizance by this Tribunal in several matters and the District Administration is trying its best to control the illegal mining's but the activities of criminal act and use of criminal force by the persons involved in illegal sand mining is serious in nature and directly challenge to the Police Administration, District administration and sovereignty of the State and further creating the law and order problems. It is direct interference in the State revenue causing loss to the State revenue and taking the law into hands. This is a criminal act as well as violation of environmental laws and order of Hon'ble the Supreme Court guidelines and further in violation of Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2020. In view of the seriousness of the matter the Tribunal took cognizance.

2. Following persons are impleaded as respondents:

- 1. State of Madhya Pradesh through District Magistrate, Bhind*
- 2. District Mining Officer, Bhind*
- 3. Member Secretary, MPPCB,*
- 4. The persons against whom First Information Report has been lodged.*

3. Registry is directed to issue the notice to the respondents.

4. Respondents are directed to submit their reply within Six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

5. *It is appropriate to constitute a committee with the following persons:*
1. *One representative from the Collector, Bhind*
 2. *One representative from the State Pollution Control Board*
 3. *One representative from the Administrative officials who were on duty on that day.*
6. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In compliance to the orders of Hon'ble NGT, a site visit of place where incident of assault on police personnel done by the violators during course of illegal sand mining and checking was conducted on dated 22.02.2024 by the Joint Committee members. The place of Incident is located at Survey No. 1, village Hilgawan, Gram Panchayat Dauhai, Tehsil Raun, District Bhind.

Member of Joint Committee As per NGT Order	Nominated Representative
One representative from the Collector, Bhind	Shri Dinesh Dudwe, Mining Officer (Incharge), District Bhind
One representative from the State Pollution Control Board	Shri R.R. Singh Sengar, Regional Officer, MPPCB, Gwalior
One representative from the Administrative officials who were on duty on that day.	Shri Kamalkant Dubey, Sub Inspector, Outpost Incharge Machhand, Police Station Raun, District Bhind

Shri Shuham Sahu (Assistant Engineers), Regional Office, MPPCB Gwalior, Shri Sanjay Dhakad (Surveyor) Mining Department District were present during the inspection.

Brief details of Incidence:-

Joint Committee visited the site with police sub inspector Shri Kamal Kant Dubey who is in charge of Machhand Police Chowki under whose jurisdiction the place of incident situated. He is also one of the member of the Joint Committee. He told that on 29.01.2024 he got information through informer that illegal sand mining & transportation carried out by some persons at Hilgawan Ghat of Sindh River who are resident of village Tehangur and Dauhai. Copy of Roj Namcha is enclosed as **Annexure C-1**. So after informing to Police Thana Raun Incharge he went to the place of incident with other 6 personal on 30.01.2024 at 1:42 PM, where his team found that 02 number tractors & trolley were there in which sand loading being carried out. So his team tried to catch the persons involved in illegal sand mining & transportation present that time at the spot of incident. About 20-25 persons of nearby villages were present at the site and they attacked on police team with sticks, stone etc. & tried to snatch the police official duty rifle. In this incident one constable suffered head injury by the stick attack. Attackers threatened the police team and warned them not to come again at the site. After the incident police team came back to the police station and informed about the incident to senior police officials and Thana In charge and FIR was registered against accused. A written statement is obtained on the visit date from SI Shri Kamal Kant Dubey about the incident and status of further action taken by police department against the accused which is enclosed as **Annexure-C2**. First Information Report (FIR) is registered against following accused: -

- 1) Lalu Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 2) Monu Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 3) Sundar Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 4) Kanje Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 5) Shiv Mohan Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 6) Arvind Singh Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind

- 7) Gajju Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 8) Chhote Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind
- 9) Saurabh Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind
- 10) Badmore Urf Pappu Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind
- 11) Bade Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind
- 12) Dharmveer Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind
- 13) Rahul Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind
- 14) Shivam Singh Rajawat R/O Village Siddhpura, Thana Rampura District Jalaun (UP)

Copy of FIR is enclosed as **Annexure-C3**.

There after investigation stated by police and arrested following 08 persons who are at present in Lahar Jail under Judicial Custody-

- 1) Kanje Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 2) Sundar Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 3) Lalu Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 4) Monu Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 5) Shiv Mohan Rajawat R/O Village Chaukipura, Dauhai Thana Raun District Bhind
- 6) Chhote Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind
- 7) Bade Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind
- 8) Badmure Rajawat R/O Village Tehangur, Thana Nayagaon District Bhind

Some property and articles like Stick, Motorcycle, Bhala, etc. also seized by police from accused. One of the tractor and trolley used during incidence by accused has also been seized by police. This tractor and trolley is kept in police custody at police station Raun. Photographs of this taken by Joint committee during visit is enclosed as **Annexure – C4** and copy of property seizure memos (08 nos.) also enclosed as **Annexure – C5**.

Details and Observation about incident area: -

- 1) Incident area is situated on right bank of river Sindh on Government Revenue land bearing survey no. 01 in village Hilgawan, Thana & Tehsil Raun, District Bhind. The area has long open river bed and one major river bridge is under construction adjoin to the incident area/sanctioned Hilgawan sand mine.
- 2) In this area one sand mine sanctioned by Madhya Pradesh Mineral Resources


Department named Hilgawan Shyampur River Sand Mine at survey number 01 and 391, Tehsil Raun, District Bhind. Sanctioned lease area is 23.58 Hectare and copy of related order of Madhya Pradesh Government dated 31.05.2023 is enclosed as **Annexure –C6**. The quarry lease of the sand mines of district Bhind is granted to MPSMCL (Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited) by Collector Bhind on dated 29.09.2023 through registered quarry lease agreement for 10 years period which is enclosed as **Annexure-C7**.

- 3) This mine is non-operational at present. MPSMCL applied for grant of EC (Environment Clearance) to SEIAA Bhopal. Application is under process at SEIAA. A public hearing of this sand quarry is scheduled on dated 02.04.2024 at village Hilgawan.
- 4) Photographs of site taken during visit is enclosed as **Annexure-C8**.

Action Taken Status: -

- 1) FIR has been registered against 14 accused at Raun Police Station.
- 2) Till date of Joint Committee visit 8 accused has been arrested and sent to Lahar Jail under Judicial Custody.
- 3) Searching of other accused by Police is undergoing.
- 4) One tractor- trolley deployed by accused at incident site for sand transportation is seized by Police & kept in police custody at Raun Police Station.
- 5) Other property and articles of accused used to perform incident also seized by Police which are also kept in Police custody.
- 6) After incidence no illegal sand mining & transportation is reported to Police.

This factual and action taken report is duly prepared by Joint Committee for submission to Hon'ble NGT.

Shri Dinesh Dudwe, Mining Officer (Incharge), District Bhind	
Shri R.R. Singh Sengar, Regional Officer, MPPCB, Gwalior	
Shri Kamalkant Dubey, Sub Inspector, Outpost Incharge Machhand, Police Station Raun, District Bhind	



नकल नोट : आता दिनांक 29.11.24 पुलिस चौकी मछण्ड राना रौन सिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक	घटि का प्रकार	समय	विवरण
15	वापसी S.I दुबे मय कृ. के	04.20 बजे	बजे सूचना हे कि उनी कमलकांत दुबे हमराह आर. 947 जसबिंदर सिंह के इस समय वापस आय। खुलारा इस प्रकार हे कि रवाना होकर अप.क्र 124/22 में अज्ञात आरोपी की तलाश ग्राम पवाखरा, लारील गणगा, बोनापुर, मूरनपुरा बगियाना में की, कोई जानकारी नही मिली बाद स्थायी वारंटियों की तलाश करता वापस आ रहा था कि रास्ते में विस्वसनीय मुखबिर मिला जिसने बतया कि हिलगावां घाट पर बड़े पैमाने पर दोहई गाँव व टेहनपुर गाँव के कुछ लोग बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। बाद मुखबिर सूचना से फोन द्वारा श्रीमान प्रभारी मछण्ड की अवगत कराय गया गस्त करता हुआ वापस चौकी आया, वापसी दर्ज है।


प्रभारी
 मछण्ड
 राना रौन जिला सिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय पुलिस चौकी मछण्ड थाना रौन जिला भिण्ड (म.प्र.)

क्र./12/2024

दिनांक - 22.02.2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय - मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्र.क्र.18/2024(CZ) SUO MOTO ACTION ON THE NEWSPAPER ARTICLE PUBLISHED IN DANIK JAGARAN DAILY DATE 01.02.2024 REGARDING ILLEGAL SAND MINING IN THE BHIND DISTRICT AND ASSAULT ON THE POLICE FORCE BY THE ILLEGAL MINER VS STATE OF MADHYA PRADESH & ORS द्वारा दिनांक 02.02.24 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ - जॉइन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 22.02.24 को स्थल निरीक्षण के दौरान मांगी गई जानकारी के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय में लेख है कि जॉइन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 22.02.24 को स्थल निरीक्षण के दौरान जानकारी मांगी गई है जो निम्नानुसार है -

दिनांक 29.01.24 को रात्रि में जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि हिलगवां घाट सिन्ध नदी के किनारे टेहनगुर व दौहई के कुछ लोग अवैध रूप से रेत का उत्खनन तथा परिवहन कर रहे हैं। जिसकी मुखबिर सूचना चौकी मछण्ड के रोज.सान्हा 15 पर दर्ज कर तत्कालीन थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था।

दिनांक 30.01.24 को उक्त मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु तत्कालीन थाना प्रभारी महोदय को अवगत करा तथा थाना प्रभारी महोदय द्वारा उपलब्ध कराये बल प्र.आर.362 अरबिंद तोमर, प्र.आर. 1010 शैलेंद्र सिंह, प्र.आर. 453 अजय चौहान, आर. 118 राहुल तोमर, आर. 1196 प्रदीप यादव आर. 246 विपिन जाट के हमराह खाना होकर अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रेक्टर ट्रालियों की धरपकड़ हेतु ग्राम हिलगवां घाट पहुँचा जहाँ 02 ट्रेक्टर मय ट्रॉली के घाट से अवैध रेत भर रहे थे जो पुलिस को देखकर ग्राम दौहई की तरफ भागने लगे जिनका कुछ दूर तक पीछा किया तो घाट के पास भरका में ग्राम दौहई के लालू राजावत, मोनू राजावत, सुंदर राजावत, कंजे राजावत, शिवमोहन राजावत, अरबिंद सिंह राजावत, गज्जू पुत्र प्रेम सिंह तथा टेहनगुर के छोटे पुत्र अजान सिंह राजावत, सौरभ पुत्र हरि सिंह राजावत, बडमूरे उर्फ पप्पू पुत्र श्याम सिंह राजावत, बडे पुत्र अंगद सिंह, धरमवीर पुत्र प्रयाग सिंह, राहुल पुत्र रामकुमार सिंह तथा सिद्धपुरा का शिवम सिंह एवं अन्य 8-10 अज्ञात लोगों ने पुलिस की गाड़ी घेर ली तथा मिट्टी के ढेलों से पुलिस की शासकीय गाड़ी क्र. एमपी03 ए 3589 पर हमला करने लगे तथा झखरों से गाड़ी पर वार करने लगे तथा लालू, मोनू, सुंदर, कंजे, अरबिंद ने मिलकर आर. 1196 प्रदीप यादव की शासकीय रायफल छीनने की कोशिश की। प्रदीप ने इसका विरोध किया तो लालू ने आर. 1196 प्रदीप यादव के सिर में लाठी मारी जिससे प्रदीप को चोट होकर खून निकलने लगा। इस प्रकार इन लोगों ने अवैध रेत से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली मय चालक के भागने में मदद की। मेरे तथा स्टाफ के द्वारा समझाइश देने पर माँ बहिन की गंदी

गंदी गालियाँ देने लगे तथा अभद्रता करने लगे तथा सभी एकसाथ होकर बोले कि हम यहाँ के दादा हैं हमें अवैध उत्खनन करने से कोई नहीं रोक सकता तथा बडमूरे उर्फ पप्पू पुत्र श्याम सिंह राजावत ने शासकीय वाहन के टायर में भाला मारने की कोशिश की जिसको मेरे द्वारा रोका गया तथा बोले कि आइंदा दिखाई दिये तो जान से खत्म कर देंगे फिर हमराह स्टाफ इन लोगों से बचता हुआ वापिस थाना आया तथा घटना से वरिष्ठ अधिकारियों व थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया तथा अपराध क्र 17/24 धारा 393,294,332,353,506,147,149 भादवि. 11,13 एमपीडीपीके एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपीगण के विरुद्ध विवेचना में लिया गया जिसकी एफ.आई.आर संलग्न है।

दौराने विवेचना साक्षीगण से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये गये तथा घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया।

दौराने विवेचना आरोपीगण 1. कंजे उर्फ नरसिंह पुत्र सरदार सिंह राजावत उम्र 38 साल 2. सुन्दर उर्फ महेन्द्र पुत्र राम सिंह राजावत उम्र 32 साल ,3. लालू उर्फ दिवाकर पुत्र रामनरेश सिंह राजावत उम्र 40 साल निवासीगण चौकी पुरा दौहई थाना रौन 4. मोनू उर्फ इन्द्रभान पुत्र नरेश सिंह राजावत उम्र 30 साल नि. दौहई हाल रायपुरा थाना रौन 5.शिवमोहन पुत्र छोटे सिंह राजावत उम्र 22 साल नि. ग्राम दौहई थाना रौन जिला भिण्ड 6. छोटे उर्फ कृष्णमुरारी पुत्र अजान सिंह राजावत उम्र 49 साल 7. बडे उर्फ विजयप्रताप सिंह पुत्र अंगद सिंह राजावत उम्र 33 साल 8. बडमूरे उर्फ पप्पू उर्फ राजवीर सिंह पुत्र श्याम सिंह राजावत उम्र 53 साल निवासीगण ग्राम टेहनगुर थाना नयागाँव जिला भिण्ड को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा आरोपीगण कंजे से डंडा ,लालू उर्फ दिवाकर से लोहांगी लाठी तथा एक स्पलेंडर मोटरसाईकिल , मोनू से लाठी , छोटे से बबूल के कांटेदार झांकर , बडे से लाठी , बडमूरे से लोहे का भाला , शिवमोहन से डंडा विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिये गये। जप्तीपत्रक पृथक पृथक संलग्न है।

दौराने विवेचना घटना में प्रयुक्त एक 585DI पाँवर महिन्द्रा+ ट्रेक्टर वा एक मटमैले रंग की ट्राली रखी हुई है ट्रेक्टर पर लिखे इंजन नं.चेचिस नं.वा मॉडल नं. को देखा तो इंजन नं.-NHFGCBE0421 ,चेचिस नं.-NAAANBBHNF00900,मॉडल नं.585 DI पाँवर महिन्द्रा+ लाल रंग का है ट्राली पुरानी मटमैले रंग की जिस पर आर.एस.एग्रोएण्डस्ट्रीज लिखा हुआ है को गुड्डू कुशवाह नि. अंगदेली की मठैया थाना रामपुरा जिला जालौन (उ.प्र) की कोठी के पास से विधिवत जप्त किया गया है जो थाना रौन में पुलिस अभिरक्षा में रखा है जिसके फोटोग्राफ तैयार किये गये जो संलग्न प्रतिवेदन है एवं जप्ती पत्रक पृथक से संलग्न है।

शेष आरोपीगण की पतारसी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

संलग्न:-

एफ.आई.आर 01
जप्ती पत्रक 08
रोजनामचा सान्हा 01

उनि कमलकांत दुबे
चौकी प्रभारी मण्डल थाना रौन भिण्ड (म.प्र)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): भिण्ड

P.S. (थाना): रौन

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/01/2024 16:41 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	393
2	भा द सं 1860	294
3	भा द सं 1860	332
4	भा द सं 1860	353
5	भा द सं 1860	506
6	भा द सं 1860	147
7	भा द सं 1860	149
8	म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम	11
9	म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम	13

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

मंगलवार

Date From (दिनांक से):

30/01/2024

Date To (दिनांक तक):

30/01/2024

Time Period (समय अवधि):

पहर 5

Time From (समय से):

13:42 बजे

Time To (समय तक):

13:55 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/01/2024

Time (समय): 16:20 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019

Date & Time (दिनांक और समय): 30/01/2024 16:39

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित



थाना प्रभारी
थाना रौन
जिला भिण्ड (म.प्र.)

थाना प्रभारी
थाना रौन
जिला भिण्ड

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर - पश्चिम, 40 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): हिलगुवा घाट का भरका, मौजा हिलगुवा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): उनि कमलकांत दुबे
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	चौकी मछण्ड, थाना रौन, रौन, भिण्ड, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	चौकी मछण्ड, थाना रौन, रौन, भिण्ड, मध्य प्रदेश, भारत

- (i) Occupation (व्यवसाय):
(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-7389720588

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	लालू राजावत /LALU RAJAWAT			1. चौकीपुरा, दौहई, रौन, भिण्ड, मध्य प्रदेश, भारत

for
थाना प्रभारी
थाना रौन
जिला भिण्ड (म.प्र.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

2	मोनू राजावत /MONU RAJAWAT			1. चौकीपुरा,दौहई,रौन,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
3	शुन्दर राजावत /SUNDAR RAJAWAT			1. चौकीपुरा,दौहई,रौन,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
4	कन्जे राजावत /KANJE RAJAWAT			1. चौकीपुरा,दौहई,रौन,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
5	शिव मोहन राजावत /SHIV MOHAN RAJAWAT			1. चौकीपुरा,ग्राम दौहई,रौन,भिण्ड, मध्य प्रदेश,भारत
6	अरविंद सिंह राजावत /ARVIND SINGH RAJAWAT			1. चौकीपुरा,दौहई,रौन,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
7	गज्जू राजावत /GAJJU RAJAWAT		पिता का नाम : प्रेम सिंह राजावत	1. चौकीपुरा,दौहई,रौन,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
8	छोटे राजावत/CHOTE RAJAWAT		पिता का नाम : अजान सिंह राजावत	1. टेहनगुर,नयागांव,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
9	सौरभ राजावत/SHORAB H RAJAWAT		पिता का नाम : हरीसिंह राजावत	1. टेहनगुर,नयागांव,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत

for T.C
थाना प्रभारी
थाना रौन
पिना भिण्ड (म.प्र.)

10	बडमूरे उर्फ पप्पू /BADMURE PAPPU		पिता का नाम : श्याम सिंह राजावत	1. ग्राम टेहनगुर,नयागांव,भिण्ड, मध्य प्रदेश,भारत
11	बडे राजावत/BADE		पिता का नाम : अंगद सिंह राजावत	1. टेहनगुर,नयागांव,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
12	धर्मवीर राजावत /DHARM VEER		पिता का नाम : प्रयाग सिंह राजावत	1. टेहनगुर,नयागांव,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
13	राहुल राजावत/RAHUL RAJAWAT		पिता का नाम : रामकुमार सिंह राजावत	1. टेहनगुर,नयागांव,भिण्ड,मध्य प्रदेश,भारत
14	शिवम सिंह राजावत/SHIVAM SINGH RAJWAT			1. सिद्धपुरा,रामपुरा,जालौन,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै प्रधान आरक्षक 570 सुनील तोमर थाना रौन मे एचसीएम के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 30.01.2023 को उप निरीक्षक कमल कांत दुबे चौकी प्रभारी मछण्ड थाना रौन द्वारा एक लेखीय आवेदन पेश किया गया। जिसके मजबूत पर से जुर्म धारा 393,294,332,353,506,147,149 भादवि 11/13 MPDPK ACT का कायम कर विवेचना मे लिया गया। नकल आवेदन पत्र हस्व जेल है- प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना रौन, जिला भिण्ड विषय:- आरोपीगण द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं शासकीय हथियार छीनने के संबंध में रिपोर्ट लिखाने बावत। महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि मैं

प्रार्थी उनि. कमलकांत दुबे आपके अधीनस्थ चौकी मछण्ड में पदस्थ हूँ। आज दिनांक 30/01/2024 को हमराह प्र.आर.362 अरविंद तोमर, प्र.आर. 1010 शैलेद सिंह, प्र.आर. 453 अजय चौहान, आर. 118 राहुल तोमर, आर. 1196 प्रदीप यादव आर. 246 विपिन जाट के रवाना होकर अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों की धरपकड़ हेतु रवाना होकर ग्राम हिलगवाँ घाट पहुँचा जहाँ 02 ट्रैक्टर मय ट्राली के घाट से अवैध रेत भर रहे थे जो पुलिस को देखकर ग्राम दौहई की तरफ भागने लगे जिनका कुछ दूर तक पीछा किया तो घाट के पास भरका में ग्राम दौहई के लालू राजावत, मोनू राजावत, सुंदर राजावत, कंजे राजावत, शिवमोहन राजावत, अरविंद सिंह राजावत, गज्जू पुत्र प्रेम सिंह तथा टेहनगुर के छोटे पुत्र अजान सिंह राजावत, सौरभ पुत्र हरि सिंह राजावत, बडमूरे उर्फ पप्पू पुत्र श्याम सिंह राजावत, बडे पुत्र अंगद सिंह, धरमवीर पुत्र प्रयाग सिंह, राहुल पुत्र रामकुमार सिंह तथा सिद्धपुरा का शिवम सिंह एवं अन्य 8-10 अज्ञात लोगों ने पुलिस की गाड़ी घेर ली तथा मिट्टी के ढेलों से पुलिस की शासकीय गाड़ी क्र. एमपी03 ए 3589 पर हमला करने लगे तथा झखरों से गाड़ी पर वार करने लगे तथा लालू, मोनू, सुंदर, कंजे, अरविंद ने मिलकर आर. 1196 प्रदीप यादव की शासकीय रायफल छीनने की कोशिश की। प्रदीप ने इसका विरोध किया तो लालू ने आर. 1196 प्रदीप यादव के सिर में लाठी मारी जिससे प्रदीप को चोट होकर खून निकलने लगा। इस प्रकार इन लोगों ने अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्राली मय चालक के भगाने में मदद की। मेरे तथा स्टाफ के द्वारा समझाइश देने पर माँ बहिन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे तथा अभद्रता करने लगे तथा सभी एकराय होकर बोले कि हम यहाँ के दादा हैं हमें अवैध उत्खनन करने से कोई नहीं रोक सकता तथा बडमूरे उर्फ पप्पू पुत्र श्याम सिंह राजावत ने शासकीय वाहन के टायर में भाला मारने की कोशिश की जिसको मेरे द्वारा रोका गया तथा बोले कि आइंदा दिखाई दिये तो जान से खत्म कर देंगे फिर हमराह स्टाफ इन लोगों से बचता हुआ वापिस थाना आया हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर करने की कृपा करें। हस्ताक्षर अग्नेजी मे अस्पष्ट उनि कमलकांत दुबे प्रार्थी उनि. कमलकांत दुबे चौकी मछण्ड, थाना रौन

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है।)

or (या)

- (1) **Registered the case and took up the investigation:** OM PRAKASH MISHRA(I
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): (Inspector)) / TI
- (2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**
No.(सं.):
Rank (पद):

to take up the Investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

for TC
थाना प्रभारी
थाना रौन
जिला भिण्ड (स.प्र.)

or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई



FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUNIL SINGH

Rank (पद): प्रधान आरक्षक-कार्यवाहक



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): OM PRAKASH MISHRA

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): TI

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि जात / देखा गया))

6

TC
थाना प्रभारी
थाना रौन
जिना मिण्ड (मंगल)

Photographs Showing Tractor And Trolley Is Kept In Police Custody At Police Station Raun



फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO

(तलाशी/प्राप्त/प्रस्तुतीकरण धारा के अन्तर्गत)

1. जिला * थाना * वर्ष * *प्र. गृ. प. क्र./गंज. मान्दा/
प्रक्रिया नम्बर *दिनांक
2. *विधान एवं धाराएं 393, 294, 332, 353, 506, 147, 149 IPC, 11/13 MPPK Act.
3. *जब्त प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति:—अपहृत / लावारिस / अवैध अधिपत्य / संदिग्ध / अन्य (जो लागू हो उस पर सही को चिह्न लगावें).
4. सम्पत्ति कब जब्त/प्राप्त हुई:—(अ) दिनांक . 20/02/24 . . . (ब) समय
(स) स्थान का पता जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई गुड्डू के धर के पास वाला श्वेत ग्राम अंगदेली
(द) स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई ली मटैया थाना रामपुरा जि० बालौन (U.P.)
5. व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई:— गुड्डू काही के धर के पास खिर श्वेत से /
नाम X पिता/पति/पालक का नाम
आयु व्यवसाय पता
6. साक्षीगण:—
(i) नाम आर० दीपक सिंह पिता/पति का नाम
आयु . 28 वर्ष व्यवसाय नौकरी पता थाना शौन जि० भि०
(ii) नाम आर० शिवम सेगर पिता/पति का नाम
आयु . 29 वर्ष व्यवसाय नौकरी पता थाना शौन जि० भि० (M.P.)
7. शीघ्र नष्ट होने योग्य सम्पत्ति के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:— X
8. बहुमूल्य सम्पत्ति के गन्ना-गन्नाव मन्वन्धी लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:— X
9. पहिचान की आवश्यकता : है/नहीं ✓
10. प्राप्त/जप्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में लिखकर संलग्न करें।
सम्पत्ति मन्वन्धी X फार्म संलग्न किये गये।

11. उपरोक्त सम्पत्ति, विधिवत साक्षियों के समक्ष जप्त की गई तथा इस मेमो की एक प्रति उस व्यक्ति को दी गई, जिससे/स्थान से स्वामी से सम्पत्ति प्राप्त/जप्त हुई है। सम्पत्ति ऐसे स्थान से प्राप्त/जप्त हुई हो जहां रसीद देने की आवश्यकता नहीं है, तो यह काट दें।
12. निम्नलिखित सम्पत्ति पैक एवं सील की गई तथा उस पर अथवा सम्पत्ति पर उपरोक्त साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गये।

क्रमांक (1)	सम्पत्ति (2)	हस्ताक्षर, पैकेट या सम्पत्ति पर प्राप्त किये गये (3)
----------------	-----------------	---------------------------------------------------------

रुक S85 DI पॉवर मॉटोसाइकल इंजन नं०-NHFG CBE0421
चेसिस नं०-NAAANBBHNF00900 लाल रंग का /

रुक गटमौले रंग की पुरानी ट्राली / ट्राली पर RS
रुग्ने इष्टक लिखा हुआ है।

मूना सील:-

हस्ताक्षर/नि. प्र. पावती,

जिसमें सम्पत्ति प्राप्त/जप्त हुई है.

साक्षीगण के हस्ताक्षर/नि. प्र.

Devi

Shreeyam

अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम *आर. सिंह गायन*

पद *निरीक्षण*

नांबर यदि है *X*

दिनांक *20/02/24*

स्थान *उत्तरांचल अंगदेली की गटमौला*

फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO

(तलाशी/प्राप्त/प्रस्तुतीकरण धारा के अन्तर्गत)

- जिला: मिण्ड थाना: शैन वर्ष: 2024 *प्र. म. प. क्र./गंज. मान्दा/
पकिया नम्बर 17/24 *दिनांक . . 30/01/2024
- *विधान एवं धाराएं: 393, 294, 332, 353, 506, 149, 149, I.P.C. . 11/13 MP B.P.K. Act
- *जब्त प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति:—अपहृत / लावारिस / अवैध अधिपत्य / संदिग्ध / अन्य (जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगावें).
- सम्पत्ति कब जब्त/प्राप्त हुई:—(अ) दिनांक 04/02/24 . (ब) समय 14/20 बजे
(स) स्थान का पता जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई आरोपी कंजे उर्फ नर सिंह राजावत द्वारा पेश
(द) स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई कस्बे पर
- व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई:—
नाम कंजे उर्फ नर सिंह पिता/पति/पालक का नाम शरदार सिंह राजावत
आयु: 38 वर्ष व्यवसाय पता ग्राम चौकीपुरा बोई
थाना शैन जि० मिण्ड
- साक्षीगण:—
(i) नाम कल्लू शमान पिता/पति का नाम शुलशेर शमान
आयु: 58 वर्ष व्यवसाय ऑपे पार्ट्स दुकान पता कस्बा शैन PS शैन
(ii) नाम मुफेश शर्मा पिता/पति का नाम शुलशेर शर्मा
आयु: 32 वर्ष व्यवसाय अपट्टरी पता कावा शैन
- शीघ्र नष्ट होने योग्य सम्पत्ति के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय/अनुशासित कार्यवाही:— ✓
- बहुमूल्य सम्पत्ति के रख-रखाव सम्बन्धी लिया गया निर्णय/अनुशासित कार्यवाही:— ✓
- पहचान की आवश्यकता : है/नहीं ✓
- प्राप्त/जप्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में लिखकर संलग्न करें।
सम्पत्ति सम्बन्धी X फार्म संलग्न किये गये।

11. उपरोक्त सम्पत्ति, विधिवत साक्षियों के समक्ष जप्त की गई तथा इस मेमो की एक प्रति उस व्यक्ति को दी गई, जिससे/स्वामी से सम्पत्ति प्राप्त/जप्त हुई है। सम्पत्ति ऐसे स्थान से प्राप्त/जप्त हुई हो जहां रसीद देने की आवश्यकता नहीं है, तो यह कट दें।

12. निम्नलिखित सम्पत्ति पैक एवं सील की गई तथा उस पर अथवा सम्पत्ति पर उपरोक्त साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गये।

क्रमांक : (1)	सम्पत्ति (2)	हस्ताक्षर, पैकेट या सम्पत्ति पर प्राप्त किये गये (3)
	रसम जफती का डब्बा जिसकी लम्बाई करीब 4.5 फिट की गयी करीब 10-12 इंच है।	

13. नमूना सील:-

हरदीप क
हस्ताक्षर/नि.अ. पावती,

जिससे सम्पत्ति प्राप्त/जप्त हुई है.

साक्षीगण के हस्ताक्षर/नि.अ.

अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ओम प्रकाश मिश्रा

पद निरीक्षक

नम्बर यदि है

1. ...

दिनांक ... 04/02/24

2. ...

स्थान आरोपी का घर काम गोकुल
वैदर

फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO

(तलाशी/प्राप्त/परन्तुतीकरण द्वारा के अन्तर्गत)

जिला: बिहार थाना: रौं वर्ष: 2024 *प्र. म. प. क्र./प्राप्त. मा.क्र./
पक्रिया नम्बर: 017/24 *दिनांक 30/01/24

2. *विधान एवं धाराएं: 393, 294, 332, 353, 506, 147, 149, 1/13 Cr.P.C. धारा

3. *जब्त प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति:—अपहृत / लावारिस / अवैध अधिपत्य / संदिग्ध / अन्य (जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगाएं),

4. सम्पत्ति कब जब्त/प्राप्त हुई:—(अ) दिनांक 07/02/24 .. (ब) समय 13:45 ..

(स) स्थान का पता जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई: आशेली के घर से

(द) स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई: आशेली के घर के गार्ड पोस्ट

5. व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई:—

नाम मोनु डफ इन्ड्रमान खैलाजाण्ड पिता/पति/पालक का नाम हेरु सिंह 1/1/1918
आयु: 30 वर्ष .. व्यवसाय कृषि .. पता ग्राम दोहर चोक म.स. 5 AS नं. 17

6. साक्षीगण:—

(i) नाम आरं 1231 कोशल जाट पिता/पति का नाम
आयु व्यवसाय चौकरी .. पता धाना रोड

(ii) नाम आरं 1238 चन्दा मिश्रा पिता/पति का नाम
आयु व्यवसाय चौकरी .. पता धाना रोड

7. गौत्र नष्ट होने योग्य सम्पत्ति के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:—

8. वृद्धमूल्य सम्पत्ति के गन्तु गन्वाव सम्बन्धी लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:—

9. परिचान की आवश्यकता : है/नहीं

10. प्राप्त/जप्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में निबन्धन संलग्न करें।

सम्पत्ति सम्बन्धी फार्म संलग्न किये गये।

11. उपरोक्त सम्पत्ति, विधिवत साक्षियों के समक्ष जप्त की गई तथा इस मेमो की एक प्रति उस व्यक्ति को दी गई, जिसका स्वामी से सम्पत्ति प्राप्त/जप्त हुई है। सम्पत्ति ऐसे स्थान से प्राप्त/जप्त हुई हो जहां रसीद देने की आवश्यकता नहीं है, तो फाट दें।

12. निम्नलिखित सम्पत्ति पैक एवं सील की गई तथा उस पर अथवा सम्पत्ति पर उपरोक्त साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गये।

हस्ताक्षर, पैकेट या सम्पत्ति पर प्राप्त किये गये
(3)

क्रमांक
(1)

सम्पत्ति
(2)

① एक लकड़ी का डंडा जिसकी लंबाई करीब 4 फुट 2 इंच

13. नमूना सील:— 3-4 नमूने

हस्ताक्षर/नि.अ. पावती,

जिससे सम्पत्ति प्राप्त/जप्त हुई है.

साक्षीगण के हस्ताक्षर/नि.अ.

अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ओम प्रकाश मिश्रा

पद निरीक्षण

नम्बर यदि है

1. कोडा

2. 

दिनांक 07/02/2024

स्थान

XVI-(a)-215
पु. हिन्दी

फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO

(तलाशी/प्राप्त/प्रस्तुतीकरण धारा के अन्तर्गत)

1. जिला * मिड * थाना * रो.नं. * वर्ष * 2024 * प्र. म. प. क्र. रोज. मान्दा/पक्रिया नम्बर . . 17/24 *दिनांक . 30/01/24
2. *विधान एवं धाराएं . 393, 294, 332, 353, 506, 147, 149, 104, 11, 13, MADHAKAR
3. *जब्त प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति:—अपहृत / लावारिस / अवैध अधिपत्य / संदिग्ध / अन्य (जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगाएं).
4. सम्पत्ति कब जब्त/प्राप्त हुई:—(अ) दिनांक . 07-02-24 . . (ब) समय . 14:30 बजे
(स) स्थान का पता जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई आबोली डारा अपने घर के लाका पेडा करने पर।
(द) स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई आबोली डारा अपने घर के लाका पेडा करने पर।
5. व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई:—

नाम विजय प्रताप सिंह उर्फ बड़े पिता/पति/पालक का नाम अंगद सिंह राजावन
 आयु 33 साल व्यवसाय खेती पता ग्राम टहनपुरे
 धान) - नयागाँव जिला मिड

साक्षीगण:—

- (i) नाम आर. 1231 कौशिक जेट पिता/पति का नाम
 आयु 28 साल व्यवसाय जोड़ी (प्राबि) पता थाना रो.नं.
- (ii) नाम आर. 1238 चंचल मिश्रा पिता/पति का नाम
 आयु 29 साल व्यवसाय जोड़ी (प्राबि) पता चोकी मधुपुरे थाना रो.नं.

7. शीघ्र नष्ट होने योग्य सम्पत्ति के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:— ✓
8. बहुमूल्य सम्पत्ति के रख-रखाव सम्यन्धी लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:— ✗
9. पहिचान की आवश्यकता : है/नहीं
10. प्राप्त/जप्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में लिखकर संलग्न करें।

सम्पत्ति सम्बन्धी प्रतिलिपि फार्म संलग्न किये गये।

CVI-(a)-215
पु. हिन्दी

11. उपरोक्त सम्पत्ति विभिन्न साक्षियों के समक्ष जप्त की गई तथा इस मेमो की एक प्रति उस व्यक्ति को दी गई, जिसकी स्वामी से सम्पत्ति प्राप्त जप्त हुई है। सम्पत्ति ऐसे स्थान से प्राप्त/जप्त हुई हो जहां रसीद देने की आवश्यकता नहीं है, तो को दे।

12. निम्नलिखित भरण पैक एवं सील की गई तथा उस पर अथवा सम्पत्ति पर उपरोक्त साक्षियों के हस्ताक्षर किये गये।
हस्ताक्षर, पैकेट या सम्पत्ति पर प्राप्त किये गये
(3)

कमरांक
सम्पत्ति
(2)
1) आगगाए सारर मे पुकेट की गड़ी एक लफ्डी की
ला ही

जिला*
प्रक्रिया
1
2
3

कमरा संख्या:-

प्रजापति
हस्ताक्षर/नि.अ. पावती,

जिसमे भरण प्राप्त/जप्त हुई है.

साक्षीगण के हस्ताक्षर/नि.अ.

अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ओम प्रकाश गिखा

पद शिक्षक

नम्बर यदि है x

दिनांक 07.02.2024

स्थान अखीरी का हा गाम देहरादून

1. कॉपी

2. [Signature]

फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO

(तलाशी/प्राप्त/प्रस्तुतीकरण धारा के अन्तर्गत)

जिला* थाना* वर्ष* *प्र. म. प. क्र./गोत्र. मान्दा/
प्रक्रिया नम्बर *दिनांक

*विधान एवं धाराएं

*जब प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति:—अपहृत / लावारिस / अवैध अधिपत्य / संदिग्ध / अन्य (जो लागू हो उस पर सही का चित्र लगावें).

सम्पत्ति कब जब्त/प्राप्त हुई:—(अ) दिनांक (ब) समय

(स) स्थान का पता जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई

(द) स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई

5. व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई:—

नाम पिता/पति/पालक का नाम
आयु व्यवसाय पता

6. साक्षीगण:—

(i) नाम पिता/पति का नाम
आयु व्यवसाय पता

(ii) नाम पिता/पति का नाम
आयु व्यवसाय पता

7. शांति नष्ट होने योग्य सम्पत्ति के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:—

8. बहुमूल्य सम्पत्ति के गन्तु-गन्नाय सम्पत्ति लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:—

9. पहचान की आवश्यकता : है/नहीं ✓

10. प्राप्त/जप्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में लिखकर संलग्न करें।

सम्पत्ति सम्बन्धी फार्म संलग्न किये गये।

फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO

(तलाशी/प्राप्त/परस्तुतीकरण भाग के अन्तर्गत)

जिल्ला: सिन्धुदुर्ग स्थाना: डोना यम: 2084 *प्र. मु. प. क्र./पत्र. मा. नं./
पक्रिया नम्बर: 17/04 दिनांक 30/01/24

विधान एवं धाराएं: 393, 394, 332, 353, 506, 147, 149, 190, 11, 13 MPDPKADT

जब प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति:—अपहृत / लावारिस / अवैध अधिपत्य / संदिग्ध / अन्य (जो लागू हो उम पर यद्दी का चिन्ह लगावें)

सम्पत्ति कब जब्त/प्राप्त हुई:—(अ) दिनांक 07-02-24 (ब) समय 14:55

(स) स्थान का पता जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई आरोगी का घर

(द) स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई आरोगी द्वारा अपने घर के बाहर पड़ा होने पर

व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई:—

नाम बसुदे उर्फ पप्पु उर्फ राजवीर सिंह पिता/पति/पालक का नाम श्याम सिंह राजावर
आयु 53 वर्ष व्यवसाय खेती पता ग्राम हलजपुर शाना
नयागाँव सिन्धुदुर्ग

साक्षीगण:—

(i) नाम आर. 1231 का राम जाट पिता/पति का नाम
आयु 28 साल व्यवसाय नौकरी (पुलिस) पता शाना शाना

(ii) नाम आर. 1228 चंचल मिश्रा पिता/पति का नाम
आयु 29 साल व्यवसाय नौकरी (पुलिस) पता चोकी मध्य शाना शाना

शांति नष्ट होने योग्य सम्पत्ति के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:—

वहुमूल्य सम्पत्ति के गन्-गन्वात सम्यन्धी लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:—

पहिचान की आवश्यकता : है/नहीं

प्राप्त/जप्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में लिखकर संलग्न करें।

सम्पत्ति सम्बन्धी प्रतिलिपि... फार्म संलग्न किये गये।

11. उपरोक्त सम्पत्ति, विधिवत साक्षियों के समक्ष जप्त की गई तथा इस मेमो की एक प्रति उस व्यक्ति को दी गई। स्वामी से सम्पत्ति प्राप्त/जप्त हुई है। सम्पत्ति ऐसे स्थान से प्राप्त/जप्त हुई हो जहां रसीद देने की आवश्यकता नहीं है। काट दें।
12. निम्नलिखित सम्पत्ति पैक एवं सील की गई तथा उस पर अथवा सम्पत्ति पर उपरोक्त साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गये।

I-(a)-215
पु. हिन्दी

क्रमांक (1)	सम्पत्ति (2)	हस्ताक्षर, पैकेट या सम्पत्ति पर प्राप्त किये गये (3)
----------------	-----------------	---------------------------------------------------------

① अपराध स्थल में प्रयोग एक लकड़ी के डण्डा के लिये लोहे का भावा.

जिला*
प्रक्रिया
1.
2.
3.

13. नमूना सील:-

राजवीर सिंह

हस्ताक्षर/नि.अ. पावती,

जिससे सम्पत्ति प्राप्त/जप्त हुई है.

साक्षीगण के हस्ताक्षर/नि.अ.

अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ओम प्रकाश मिश्रा

पद निरीक्षक

नम्बर यदि है ५

1. Kosh

2. [Signature]

दिनांक 07.02.24

स्थान डारोमी का धा वरम इलाका

फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO

(तलाशी/प्राप्त/प्रस्तुतीकरण भाग के अन्तर्गत)

1. जिला * सिवास थाना * बोर्न वर्ष * 2024 * प्र. म. प. क्र. गज. मा. नं./
पक्रिया नम्बर * 17/24 * दिनांक * 30/01/24

2. *विधान एवं धाराएं. 393, 294, 332, 353, 506, 147, 149, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

3. *जब प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति:—अपहृत / लावारिस / अवैध अधिपत्य / संदिग्ध / अन्य (जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगावें)

4. सम्पत्ति कब जब्त/प्राप्त हुई:—(अ) दिनांक 07.02.24 (ब) समय 14:10 बजे

(स) स्थान का पता जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई घटना स्थल से

(द) स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई घटना स्थल से अश्लील द्वारा उठाया गया

5. व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई:—

नाम छोटे उर्फ कृष्ण सुरार पिता/पति/पालक का नाम जमान सिंह राजावत
आयु 44 साल व्यवसाय रेवती पता ग्राम देहनपुर थाना
नयागाँव जिला मिर्जापुर

6. साक्षीगण:—

(i) नाम आर. 1231 कौशल आर पिता/पति का नाम _____
आयु 28 साल व्यवसाय नौकरी (पुलिस) पता थाना बोर्न

(ii) नाम आर. 1238 चंचल मिश्रा पिता/पति का नाम _____
आयु 29 साल व्यवसाय नौकरी (पुलिस) पता चौकी महल थाना बोर्न

7. गाँव नष्ट होने योग्य सम्पत्ति के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:—

8. बहुमूल्य मर्पान के गन्तु गन्नाव सम्बन्धी लिया गया निर्णय/अनुशंसित कार्यवाही:—

9. पहिचान की आवश्यकता : है/नहीं

10. प्राप्त/जप्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में लिखकर संलग्न करें।

सम्पत्ति सम्बन्धी पुलिस फार्म संलग्न किये गये।

फार्म नं. 4
सम्पत्ति जप्ती पत्रक
PROPERTY SEIZURE MEMO

(तलाशी/प्राप्त/प्रस्तुतीकरण धारा के अन्तर्गत)

1. जिला * श्रीगण्ड थाना * शौन तारीख * 2024 *प्र. म. प. क्र./पो. नं. मान्दा/प्रक्रिया नम्बर ... 17/24 *दिनांक ... 30/01/24.
2. *विधान एवं धाराएं. 393, 294, 332, 353, 506, 147, 149, IPC 11/13 MPPKA
3. *जब प्राप्त सम्पत्ति की स्थिति:—अपहृत / लावारिस / अवैध अधिपत्य / संदिग्ध / अन्य (जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगायें).
4. सम्पत्ति कब जन्त/प्राप्त हुई:—(अ) दिनांक ... 02/02/24 ... (ब) समय ... 1:30 P.M.
 - (स) स्थान का पता जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई आरोपी दिवाकर सिंह उर्फ लालू व्यारापेशू
 - (द) स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई करने पर आरोपी का घर चौकीपुरा दोहर
5. व्यक्ति जिससे सम्पत्ति जप्त/प्राप्त हुई:—

नाम <u>दिवाकर सिंह उर्फ लालू</u>	पिता/पति/पालक का नाम <u>शम अरेश राजावत</u>
आयु. <u>40 वर्ष</u>	व्यवसाय <u>शेखर</u>
थाना <u>शौन</u>	जिला <u>श्रीगण्ड (M.P.)</u>
6. साक्षीगण:—

(i) नाम <u>आर. 1231 कोशल जाट</u>	पिता/पति का नाम
आयु. <u>28 वर्ष</u>	व्यवसाय <u>मोहरी</u>
	पता <u>थाना शौन, श्रीगण्ड</u>
(ii) नाम <u>आर. 1238 चंभल मिश्रा</u>	पिता/पति का नाम
आयु. <u>29 वर्ष</u>	व्यवसाय <u>मोहरी</u>
	पता <u>थाना शौन, श्रीगण्ड</u>
7. शांति नष्ट होने योग्य सम्पत्ति के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय/अनुशासित कार्यवाही:—
8. बहुमूल्य सम्पत्ति के गन्तु गन्तव्य सम्बन्धी लिया गया निर्णय/अनुशासित कार्यवाही:—
9. परिचान की आवश्यकता : है/नहीं
10. प्राप्त/जप्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित फार्म में लिखकर संलग्न करें।
सम्पत्ति सम्बन्धी 10 फार्म संलग्न किये गये।

म.प्र. शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक - एफ 10-2-2019-आरह-1-पार्ट-6

भोपाल दिनांक - 31.05.2023

प्रति

कलेक्टर,
जिला - समस्त
मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 के अंतर्गत म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में रेत खदानों के उत्खननपट्टा स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 165 दिनांक 26/05.2023.

मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की संदर्भित अधिसूचना क्रमांक 165 दिनांक 26/05/2023 से मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 के नियम 5(4) के तहत मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के रेत खनिज के उत्खननपट्टा 10 वर्षों के लिए आवंटित किये जाने का प्रावधान है।

उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा समय विचारोपरित मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 66 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित की गई रेत खदानों को अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए, निम्न शर्तों के अधीन, उत्खननपट्टे पर स्वीकृत किया जाता है :-


- (1) म.प्र. राज्य खनिज निगम तीन माह के अंदर संलग्न सूची अनुसार रेत खदानों हेतु प्ररूप सात में पट्टा विलेख का निष्पादन जिलावार समूह में करायेगा।
- (2) म.प्र. राज्य खनिज निगम, पट्टा विलेख को भारतीय राजस्व अधिनियम 1902 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा।
- (3) भविष्य में घोषित रेत खदानों हेतु जिलावार पूरक अनुबंध निष्पादन करायेगा।
- (4) म.प्र. राज्य खनिज निगम, द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत चर्चावित्त में रेत खदानों के खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार करने हेतु अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निष्पादन हेतु जिम्मेदार होगा।



- (5) रेत समूह की ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया एवं इन नियमों के अधीन प्राप्त संपूर्ण राशि निगम द्वारा संचारित खाते में जमा कराई जायेगी और तत्पश्चात् प्रतिमाह निगम प्राप्त राशि मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 21 में विहित प्रक्रिया के तहत अंतरण कराया जाएगा।

सलग्न - जिलावार रेत खदानों की सूची।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(प्रकाश पन्डे)
अवर सचिव


म.प्र. शासन, खनिज सधन विभाग

पृ. क्रमांक - F 19-2/2019/12/1/UR-6

भोपाल दिनांक - 31.05.2023

प्रतिलिपि -

- (1) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
- (2) प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


31/5/23
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज सधन विभाग

क्र.	जिल्हा	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)
1	2	3	4	5	6
1	भिण्ड	भिण्ड	ओझाघाट	1254	4.000
2	भिण्ड	भिण्ड	जखमौली	1274,1290 (New -121,1846)	4.150
3	भिण्ड	भिण्ड	ककहरा	1347, 1619,2324,2341	19.770
4	भिण्ड	भिण्ड	अत्तरसुमा	1115, 1171	4.000
5	भिण्ड	भिण्ड	खैराश्यामपुरा-1	849, 855, 1486	1.702
6	भिण्ड	भिण्ड	खैराश्यामपुरा-2	1486	9.752
7	भिण्ड	भिण्ड	खैराश्यामपुरा-3	578, 599, 741, 787	7.060
8	भिण्ड	भिण्ड	खैराश्यामपुरा-4	809, 810, 1486	7.216
9	भिण्ड	भिण्ड	विलाव	5234	3.500
10	भिण्ड	भिण्ड	ढोचरा	2787	4.000
11	भिण्ड	मिहोना	मटियावली-1	66, 75	14.710
12	भिण्ड	मिहोना	मटियावली-2	452	15.210
13	भिण्ड	मिहोना	मटियावली-3	514	17.650
14	भिण्ड	मिहोना	गुरीरा	1	4.000
15	भिण्ड	मिहोना	बडेत्तर	1	24.900
16	भिण्ड	मिहोना	धौर-1	1, 2, 12, 45, 67	18.230
17	भिण्ड	मिहोना	धौर-2	245, 246, 251	11.680
18	भिण्ड	मिहोना	धौर-3	2,47,290	15.850
19	भिण्ड	मेहगांव	भारौलीकला	1713, 2278, 2435	11.170
20	भिण्ड	मेहगांव	मूसावली	1212/5	7.000
21	भिण्ड	मेहगांव	गोरम-1420	1420	10.000
22	भिण्ड	मेहगांव	गोरम-1472	1567	7.780
23	भिण्ड	मेहगांव	भारौलीखुर्द	3349, 3355, 3402, 3403, 3405	8.940
24	भिण्ड	मेहगांव	सढा	801	5.000
25	भिण्ड	मेहगांव	अजीता	01, 360	9.000
26	भिण्ड	मेहगांव	कछारघाट	610	5.000
27	भिण्ड	मेहगांव	खैरोली	546, 850	19.000
28	भिण्ड	मेहगांव	बछरेठा	883	3.000
29	भिण्ड	मेहगांव	बछरोली	545	2.970
30	भिण्ड	मेहगांव	बरठीराज	445	3.000
31	भिण्ड	मेहगांव	खेरियासिंध	1331	4.000
32	भिण्ड	मेहगांव	बरठीखुर्द-1	284, 515	13.000
33	भिण्ड	मेहगांव	बरठीखुर्द-2	434	4.000
34	भिण्ड	मेहगांव	बडेरा	542	4.000
35	भिण्ड	मेहगांव	सादुरी	66,56,66,668	3.190
36	भिण्ड	मेहगांव	डुबका	1, 208	13.510

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	खण्ड	क्षेत्रफल (घनमीटर)
40	भिण्ड	रौन	बहादुरपुरा	1	1288, 1339
41	भिण्ड	रौन	बघेलीए बहादुरपुरा		287
42	भिण्ड	रौन	पढ़ौरा-1		22
43	भिण्ड	रौन	पढ़ौरा-2		1201, 1139,(New-629,1209)
44	भिण्ड	रौन	महदा		1
45	भिण्ड	रौन	महदा-2		1
46	भिण्ड	रौन	दहेमा-1		1
47	भिण्ड	रौन	दहेमा-2		01, 02,181
48	भिण्ड	रौन	दहेमा-3		181
49	भिण्ड	रौन	रेमजां		197/2, 200, 285(NEW-205,739)
50	भिण्ड	रौन	महायर-1		1,2
51	भिण्ड	रौन	महायर-2		2
52	भिण्ड	रौन	निवसाई रिडिया-1		01, 02, 9, 371, 372
53	भिण्ड	रौन	निवसाई रिडिया-2		410
54	भिण्ड	रौन	निवसाई रिडिया-3		410
55	भिण्ड	रौन	निवसाई 534-1		534
56	भिण्ड	रौन	निवसाई 534-2		534
57	भिण्ड	रौन	निवसाई 534-3		534
58	भिण्ड	रौन	कौंध मडेयन-1		1
59	भिण्ड	रौन	कौंध मडेयन-2		274
60	भिण्ड	रौन	कौंध मडेयन-3		500
61	भिण्ड	रौन	मानगढ		1043, 1103
62	भिण्ड	रौन	इन्दुखी		3010/8, 3011/8,3015/8,3016/8,3018/8
63	भिण्ड	रौन	विरोना		2638
64	भिण्ड	लहार	गिरवासा नवीन		06, 210,1325
65	भिण्ड	लहार	गिरवासा पुरानी		100(NEW-48)
66	भिण्ड	लहार	लिलवारी-1		258, 259
67	भिण्ड	लहार	लिलवारी-2		751, 716
68	भिण्ड	लहार	लगदुआ		185
69	भिण्ड	लहार	चन्दावली		01,20,15
70	भिण्ड	लहार	मडोरी		770
71	भिण्ड	लहार	अजनार-1		1576
72	भिण्ड	लहार	अजनार-2		1576
					747.787

जिले की अधिकतम खनन योग्य रेत खनिज की मात्रा (वार्षिक घनमीटर)	2250000 (घनमीटर)
समूह से स्वामिस्व की प्राप्ति योग्य अधिकतम राशि	₹. 125 X 2250000 = 281250000

प्रारूप - 7
उत्खनन पट्टा विलेख
 (खदान एग्रीमेंट फार्म)
 (नियम 26 देखिए)

यह करार एक पक्षकार के रूप में कलेक्टर, जिला मिण्ड के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टे कर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहां उनके पदोत्तरवर्ती भी है) और दूसरे पक्षकार श्री. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि०, पर्यावास भवन, भोपाल (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी है) अथवा

(सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा निरंक (व्यक्ति का नाम पद सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहां उनके कमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रति-निधि तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी है)

प्रबंधक (भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज.म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि०, निवासी.पर्यावास भवन, भोपाल.. समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम. खनिज निगम (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारबार कर रहे हैं और रजिस्टर्ड कार्यालय.भोपाल पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहाँ सन्दर्भ के अनुकूल है) वहां उक्त समस्त भागीदार, उनके कमशः वारिस, निष्पादक, विविध प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी है।

कम्पनी अधिनियम 1956, (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी दि म0प्र0 स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर्यावास भवन भोपाल पर है (पता) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहाँ सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उसके उतराधिकारी तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी है।

के बीच आज तारीख 29/09/2023 को किया गया है।

पट्टेदार/पट्टेदारों ने, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के संबंध में रेत खनिज के उत्खनन हेतु पट्टे के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रूपये 1000 रु.की राशि जमा की है।

इस बात का साक्षी है कि इस विलेख में तथा इसमें इसके नीचे लिखी अनुसूची में या उसके द्वारा आरक्षित और अन्तर्विष्ट भाटकों तथा स्वामित्वों का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये जाने के और उसके/उनके द्वारा अनुपालन, पालन की जाने वाली प्रसंविदाओं तथा करारों के प्रति फलस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा, पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टा प्रदान और अन्तरित करता है।

रेत की ऐसी समस्त खदानें(यहाँ खनिज या खनिजों या विवरण दें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है), जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अवस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है, इसके संबंध में प्रयोज्य स्वतन्त्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए जो उक्त अनुसूची के भाग-दो में वर्णित है, ऐसी स्वतन्त्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपयोग करने के संबंध में उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, को उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित है, इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से राज्य सरकार के प्रति वे स्वतन्त्रतायें शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित है, परिसर दिनांक 29/09/2023 से..... आगामी दस वर्ष की कालावधि के लिए धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को, एतद् द्वारा, प्रदान किए जाते हैं। पट्टे पर दिये जाते हैं, अतः उन विभिन्न भाटकों तथा स्वामित्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित है। कमशः ऐसे सग्यों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए राज्य सरकार को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद् द्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य सरकार एतद् द्वारा, पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करती से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग-नौ में अभिव्यक्त की गई है।

(आर.क. पाण्डेय)

प्रबंधक (सामान्य)

दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि.
 जिला कार्यालय मिण्ड (म.प्र.)

खनिज अधिकारी
 जिला मिण्ड (म.प्र.)

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष की जो कि उपर लिखे है उस रीति में, इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची
भाग एक-इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र :- भिण्ड गुप

सूची में वर्णित ग्राम में स्थित भूमियों वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो संलग्न सूची अनुसार तहसील में रेत खदानें ग्राम पंचायत में है और जो खसरा कमांक जिसमें सूची अनुसार उल्लेखित या उसके लगभग सूची अनुसार का क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में अंकित है तथा जो लाल रंग से दर्शाया गया है, और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार है :-

उत्तर में.....द्वारा
दक्षिण में.....द्वारा
पूर्व में.....द्वारा
और
पश्चिम में.....द्वारा

संलग्न सूची एवं नक्शों के अनुसार

जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

भाग दो उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्ययन रहते हुए, जो भाग-तीन से दिये गए हैं, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली स्वतन्त्रताएं शक्तियां तथा विशेषाधिकार :

1. भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना तथा कार्य करना इत्यादि - एतद् द्वारा किये गये पट्टा अंतरण की अवधि के दौरान समस्त समयों पर उक्त भूमि पर प्रवेश करने और खनिज/खनिजों, को प्राप्त करने के संबंध में कार्य करने, उनकी दरेसी करने, प्रसस्करित करने, सपरिवर्तित करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतन्त्रता तथा शक्ति।
2. मशीनरी, उपस्कर इत्यादि को लाना तथा उनका उपयोग करना - इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उक्त भूमि पर या उसके नीचे कोई इंजन, मशीनरी, सयंत्र, दरेसी फश, ईट-भट्टा, कर्मशाला, भण्डारगृह, गोदाम, शेड तथा अन्य भवन और अन्य कार्य स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और उपयोग करने तथा उस भूमि पर या उसके नीचे उसी प्रकार की सुविधाओं के लिए या उनके संबंध में स्वतन्त्रता तथा शक्ति।
3. रास्तों तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग - इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उक्त भूमि में या उसके उपर कोई ट्राम पथ, रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने और घोड़ों, पशुओं, बेगनों या अन्य वाहनों सहित या रहित उसका या उक्त भूमि में या उस पर किसी विद्यमान ट्राम पथों, रास्तों तथा अन्य मार्गों) ऐसी शर्तों पर, जैसी कि सहमति हो, उनका उपयोग करने की या उनके संबंध में स्वतन्त्रता तथा शक्ति।
4. भवन तथा रास्ते की सामग्री इत्यादि - इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उनके संबंध में उत्खनन कर पत्थर, बजरी, तथा भवन और रास्ते के निर्माण संबंधी अन्य सामग्रियों तथा मिट्टी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने और उन्हें काम में लेने तथा ऐसी मिट्टी से ईंटें या कवेलू विनिर्मित करने और ऐसी ईंटों तथा कवेलुओं का उपयोग करने के लिए और उसके संबंध में स्वतन्त्रता तथा शक्ति, किन्तु ऐसी किसी सामग्री, ईंटों या कवेलुओं का विक्रय करने के लिए नहीं।
5. जलधाराओं से पानी का उपयोग इत्यादि - इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए किन्तु किसी विद्यमान या भावी पट्टेदारों के अधिकारों के अध्यधीन रहते हुए तथा कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किन्हीं जलधाराओं, जलमार्गों, झरनों या अन्य स्रोतों को काम में लाने और उनका पानी उपयोग करने या ऐसी किसी जलधारा या जलमार्ग को मोड़ने उसे बढ़ाने ग्राउंड पर बाध बनाने और ऐसे किसी जल को संग्रहित करने तथा अवरुद्ध करने और किसी जलमार्ग पुलिया, नालियों या जलाशयों को बनाने, निर्माण करने और बनाये रखने के लिए और उस संबंध में स्वतन्त्रता तथा शक्ति किन्तु इस प्रकार नहीं कि जिससे किन्हीं कृषि भूमियों, ग्रामों, भवनों का पशुओं के पानी पीने के स्थानों या पूर्व में आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त रूप से जल प्रवाय से वंचित करेगा और न किसी प्रकार से किसी जलधारा या झरनों को गंदा या प्रदूषित नही करेगा, परन्तु यह कि पट्टेदार किसी नाथ्य जलधारा में नौचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या राज्य सरकार को लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी जलधारा को नहीं मोडेगा।

(आर.के. पाण्डेय)

प्रबंधक (सामान्य)

दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमि.
जिला कार्यालय भिण्ड (म.प्र.)

2

खनि अधिकारी
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

6. चट्टे लगाने, ढेर लगाने, जमा करने के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग - उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग पर, उससे खदानों के किसी उत्पाद या किये गये कार्य और किन्हीं औजारों, उपकरणों, मिट्टी तथा सामग्रियों और पदार्थों के, जो इस भाग में वर्णित स्वतन्त्रताओं शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोदे गये हों, या निकाले गये हों, चट्टे लगाने, ढेर लगाने, भण्डारण करने या जमा करने के प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने और उपयोग करने की स्वतन्त्रता तथा शक्ति।

भाग तीन-भाग दो में वर्णित स्वतन्त्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निबंधन तथा शर्तें -

1. कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा-किसी सार्वजनिक विहार भूमि, श्मशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करें, कोई भवन या तद्दृश्य कोई संरचना ऐसी रीति में निर्मित, स्थापित या रखी नहीं जाएगी और कोई भी भूतल संकियाएं नहीं की जायेगी जिससे किन्हीं भवनों, कार्यों संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को कोई हो या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भूतल संकियाओं के लिए ऐसी किसी भूमि का, जो इस पट्टे में सम्मिलित न होने वाले कार्यों या प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में ही दखल में ली गई हो, उपयोग नहीं किया जायेगा, पट्टेदार किसी मार्ग, कुएं या तालाब के संबंध में किसी अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा/ नहीं करेगा।
2. ऐसी भूमि में जो पूर्व से उपयोग में न हो, भूतल संकियाओं के लिए अनुज्ञा-ऐसी भूमि को जो भूतल संकियाओं के लिए पूर्व में ही उपयोग में नहीं लाई गई है, उस बावत् उपयोग करने के पूर्व, पट्टेदार, जिले के कलेक्टर को दो कलेंडर मास पूर्व की एक लिखित सूचना देगा/ देगा जिसमें स्थान का नाम या अन्य वर्णन तथा इस प्रकार उपयोग किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा और वह प्रयोजन जिसके लिए वह अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट किया जायेगा तथा उक्त भूमि का, यदि कलेक्टर, उसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्ति के दो मास के भीतर आपत्ति करें, तब तक इस प्रकार उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि इस प्रकार की गई आपत्ति, राज्य सरकार को निर्देश किये जाने पर, निष्प्रभावित नहीं की जाती या वह अभिव्यक्त नहीं कर दी जाती।
3. प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर कोई खनन संकियाये नहीं जायेगी पट्टेदार नियम 30 के उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर किसी भी स्थल पर कोई कार्य या खनन संकियाएं नहीं करेगा/ करेगा या उन्हें करने की अनुज्ञा नहीं देगा।
4. लगी हुई शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टों के लिए सुविधाएं - पट्टेदार, ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है या जिस तक उसके/उनके द्वारा धारित भूमि से पहुंचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टे के विद्यमान तथा भावी धारकों को उस तक पहुंच की युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान किये जाने बावत् अनुज्ञा देगा। परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की संकियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और इस स्वतन्त्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जायेगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।

भाग चार-राज्य सरकार के लिए आरक्षित स्वतन्त्रताएं शक्तियां तथा विशेषाधिकार -

1. अन्य खनिजों के बारे में कार्य करना- राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या किसी पट्टेदार को उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने और उक्त खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज तथा किन्हीं अन्य पदार्थों की खोज करने, प्राप्त करने, उसके संबंध में कार्य करने, खोदने, पाने, उत्खनन करने, दरेशी करने, प्रसंस्करित करने, संपरिवर्तित करने और ले जाने और उन प्रयोजनों के लिए सुरंग, खनन बनाने, तैयार करने, स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और ऐसे गढ़बों, कूपकों, आनतियों, अनुसुरगों, समतालिकाओं तथा अन्य लाईनों, जलमार्गों, वायुमार्गों, जल प्रवाहों, नालों, जलाशयों, इंजनों, संयंत्र, भवनों, नहरों, ट्रामपंथों, रेलपंथों, सड़क मार्गों तथा अन्य कार्यों, और ऐसी सुविधाओं का जैसा कि (आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाए, उपयोग करने की) स्वतन्त्रता तथा शक्ति। परन्तु यह कि ऐसी स्वतन्त्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतन्त्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायेगा और इस स्वतन्त्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जायेगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(आर.के. पाण्डेय)

ब्रह्मचर (तामान्य)

दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमि.
जिला कार्यालय भिण्ड (म.प्र.)

3

(D)

खनिज अधिकारी
जिला कार्यालय भिण्ड (म.प्र.)

2. रेलपथ रास्ते बनाना - राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर उसके उपर या उसके आरपार किन्हीं रेलपथों, ट्रामपथों, तथा सड़क मार्गों को बनाने, संधारित करने और उनकी मरम्मत करने या किन्हीं विद्यमान रेलपथों, सड़क मार्गों, पाइप लाइनों, तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ-साथ समस्त प्रयोजनों के लिए और जैसा कि किसी अवसर पर अपेक्षित हो, घोड़ों, पशुओं या अन्य पशुगाडियों, घेगनों, वाहकों लोकोमोटिवी या अन्य वाहनों सहित या रहित, पुनः पार करने की स्वतन्त्रता तथा शक्ति।
- परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतन्त्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों को स्वतन्त्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्ताक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतन्त्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जाएगा जैसा कि पारिस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

- भाग पांच- इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक और स्वामिस्व, अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) या स्वामिस्व, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करना
1. पट्टेदार, पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर- प्रत्येक वर्ष के लिए इस भाग के खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा।
परन्तु उन नियमों के नियम 30 के अधीन जहाँ ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, नियोजित व्यक्ति, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या खपाये गये किसी भी खनिज के लिए स्वामिस्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिए दायी हो गया है, वहाँ ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक, जो भी उच्चतर हो का भुगतान करने का दायी होगा।
 2. भाटक और अनिवार्य भाटक के भुगतान का ढंग इस भाग के खण्ड 1 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार पट्टान्तरित और इन अनुसूची के भाग एक में वर्णित भूमियों के लिए इन नियमों की अनुसूची चार में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से ऐसी रीति में, जैसा कि नियम 30 (1) (क) में विनिर्दिष्ट है, वार्षिक अनिवार्य भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे।
 3. स्वामित्व के भुगतान की दरें तथा ढंग-इस भाग के खण्ड 1 के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके/उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज/खनिजों के संबंध में नियम 30 (1)(ख) में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामित्व का, इन नियमों की अनुसूची-तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे।
 4. सतही भाटक का भुगतान - पट्टेदार, उक्त भूमियों के जो समय-समय पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस विलेख के प्राधिकार के अधीन दखल की गई है या उपयोग की गई है, समस्त भागों के सतह के संबंध में, क्रमशः प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए रूपये, नियमानुसार की दर से या ऐसे दखल या उपयोग के प्रारम्भ होने की कालावधि के दौरान दखल किये गये या उपयोग किए हुए उसके भाग का, जब तक कि क्षेत्र का इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्त न हो जायें, भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे और इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्त न हो जाये, भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे और इस प्रकार उपयोग की गई सतह भूमि को यथासम्भव उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा/करेंगे। सतह भाटक का भुगतान नियम 30 (1) (ग) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा।

भाग छः - भाटक और स्वामिस्व संबंधी उपबंध

1. भाटक और स्वामिस्व कटौती आदि से मुक्त होंगे - इस अनुसूची के भाग पांच में उल्लेखित भाटक और स्वामिस्व का नियम 30 (1) में यथा विनिर्दिष्ट राज्य सरकार को किसी भी कटौती से मुक्त भुगतान किया जायेगा।
2. स्वामिस्व के संगणना के ढंग - उक्त स्वामिस्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों खपत किए गए तथा प्रेषण किए गए खनिज/खनिजों के उत्पादन का एक सही लेखा रखेगा। साथ ही खनिज/खनिजों की मात्रा का, जो कि स्टॉक में है या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल की जा सकेगी।
3. यदि भाटकों और स्वामिस्वों का समय भुगतान नहीं होता है, तो कार्यवाही-इस विलेख के निबंधन तथा शर्तों के अधीन राज्य सरकार को शोध्य कोई भाटक, स्वामिस्व या अन्य रकम का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा निहित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो, वह रकम, उस पर शोध्य चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर


(आर.के. पाण्डेय)

प्रबंधक (सामान्य)

दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमि.
जिला कार्यालय मिण्ड (म.प्र.)

4


खनिज अधिकारी
जिला कार्यालय मिण्ड (म.प्र.)

से, साधारण ब्याज के साथ, खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूल की जा सकेगी।

- भाग सात - पट्टेदारों की प्रसंविदाएं**
1. पट्टेदार भाटकों तथा स्वामिस्वों, करों इत्यादि का भुगतान करेगा- पट्टेदार, इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक तथा स्वामिस्वों का ऐसे समयों पर तथा ऐसी रीति में, जो इस विलेख के भाग-पांच तथा छः उपबंधित है, भुगतान करेगा/करेंगे और ऐसे समस्त करों, रेंटों, निर्धारणों का, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, जो सार्वजनिक मांग के स्वरूप के हों और जो पट्टेदार/पट्टेदारों के उन परिसरों तथा संकायों, जो तत्सदृश्य अन्य परिसरों तथा संकायों के सामिलाती हो, सिवाय भू-राजस्वों की मांगों के पर या उनके संबंध में राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर प्रभारित किये जाये, निर्धारित किए जाये या अधिरोपित किया जाये, का भी भुगतान करेगा/करेंगे तथा उनका उन्मोचन करेगा/करेंगे।
 2. सीमा चिन्हों का अच्छी हालत में संधारण करना तथा रखना - पट्टेदार अपने/उनके स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमाकंन के अनुसार सीमा चिन्हों तथा स्तम्भों को स्थापित करेगा और समस्त समयों पर उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रखेगा। ऐसे चिन्ह तथा स्तम्भ झाड़ियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें।
 3. संक्रियायें एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ की जाएगी और कुशलता से कार्य किया जाएगा - पट्टेदार, पट्टा निष्पादित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संक्रिया प्रारम्भ करेगा/करेंगे और उसके पश्चात् इस पट्टे के चालू रहने के दौरान समस्त समयों पर उक्त खनिजों को, स्वेच्छापूर्वक अवरोध क बिना निपुणता से कुशलता से और इसमें इसके पश्चात् खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट से, उक्त भूमियों के भूतल या उस पर की फसलों, भवनों, संरचनाओं या अन्य संपत्ति को अनावश्यक या परिहार्यनुसार किए बिना या किये जाने की अनुज्ञा दिए बिना, प्राप्त करेगा/करेंगे, उनके सम्बन्ध में कार्य करेगा/करेंगे तथा विकास करेगा/ करेंगे, इस खण्ड से प्रयोजनों के लिए संक्रियाओं में खान के सम्बन्ध में मशीनरी स्थापित करना, ट्रामपथ बिछाना या किसी रास्ते का निर्माण करना सम्मिलित है।
 4. सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखा जाएगा - पट्टेदार, ऐसे समस्त नुकसान क्षति या विघ्न के लिए, जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके/उनके द्वारा किए गए हों उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हरजाना तथा प्रतिकार देगा तथा उनको भुगतान करेगा/करेंगे, जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए और ऐसे समस्त दावों के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरुद्ध, ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के सम्बन्ध में जो किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये जायें, राज्य सरकार को क्षतिपूरित करेगा/करेंगे और पूर्णरूप से तथा संपूर्णतः क्षतिपूरित रखेगा/रखेंगे।
 5. गद्दे इत्यादि को सुरक्षित करना तथा अच्छी हालत में रखना - पट्टेदार, इस पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान समस्त गद्दों तथा खदानों को, जो कि उक्त भूमियों में बनाये जायें या उपयोग में लाये जायें, इमारती लकड़ी या अन्य टिकाऊ साधनों से अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा/रखेंगे और ऐसे प्रत्येक गद्दे या खदान के चाहे वह परित्यक्त हों अथवा न हों, इर्द-गिर्द, कलेक्टर के समाधान पर्यन्त बाढ लगाएगा/लगायेगें तथा उसे संधारित करेगा/करेंगे और उस अवधि के दौरान, उक्त भूमियों में की समस्त खदानों को सिवाय ऐसी खदानों के जो परित्यक्त कर दी गई हैं, यथा सम्भव जल से तथा दूषित वायु से युक्त रखेगा/रखेंगे।
 6. खान को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा सम्भालना- पट्टेदार, यथास्थिति, संबंधित रेल प्रशासन या राज्य सरकार के समाधान पर्यन्त खाने के किसी भाग को, जो कि उसकी राय में किसी रेलपथ, जलाशय, नहर, रास्ते तथा किसी अन्य सार्वजनिक कार्य या संरचना की सुरक्षा के लिए ऐसी मजबूतीकरण या सम्भाल अपेक्षित है, मजबूत करेगा/करेंगे तथा सम्भाल करेगा/करेंगे।
 7. खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जाना- पट्टेदार, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, पूर्वक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आँकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को परिसर में जिसमें कोई भवन, उत्खनन या पट्टे में समाविष्ट भूमि सम्मिलित है, प्रवेश करने को अनज्ञात करेगा/करेंगे और पट्टेदार उसके/उनके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ जो खान से तथा कार्यों से परिचित हैं, ऐसे अधिकारी, अभिकर्ताओं, नौकरी तथा कर्मकारों को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा/करेंगे और खदानों के कार्यकरण के संबंध में ऐसी समस्त सुविधायें, जानकारी देगा/देगें जो कि वे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों, जैसे कि केन्द्र या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा, समय-समय पर अधिरोपित करना उचित समझें, के अनुरूप अनिवार्य रूप से कार्य करेगा/करेंगे तथा अनुपालन करेगा/करेंगे।
 8. दुर्घटना की रिपोर्ट जाना- पट्टेदार, बिना विलम्ब के कलेक्टर को किसी ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजना/भेजेगें जो इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं के अनुक्रम से हुई हो जिनके कारण मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गई हो या जो जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो।

(आर.के. पाण्डेय)

ब्रह्मक (सामान्य)

दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमि.
जिला कार्यालय मिण्ड (म.प्र.)

5

(D)
खनिज अधिकारी
जिला-मिण्ड

9. अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट की जाना- पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज को, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अन्वेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्धि के स्वरूप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर को अविलम्ब कर देगा/देगें, यदि ऐसा कोई खनिज, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है, जो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं करेगा/करेंगे और उसका निपटारा नहीं करेगा/करेंगे जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर लिया जाये या उसके लिए एक पृथक-पृथक पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जायें।
10. उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों तथा लेखाओं का रखा जाना-पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे कार्यालय में, जो उक्त भूमियों पर या उसके निकट स्थित हों, लेखाओं की सही तथा बाधगम्य ऐसा लेखा पुस्तक रखेगा/रखेंगे या रखवायेंगे, जिनमें निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर सही प्रविष्टियों अन्तर्विष्ट होगी -
- (1) उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज/खनिजों की मात्रा तथा प्रकार।
 - (2) उन खनिज/खनिजों का, जिनका विक्रय तथा निर्यात किया गया हो, मात्राएं तथा विभिन्न प्रकार, पृथक-पृथक रूप से।
 - (3) अन्यथा निपटारे गए विभिन्न प्रकारों के उक्त खनिज/खनिजों की मात्राएं और ऐसे निपटारों की रीति तथा प्रयोजन।
 - (4) उक्त खनिज/खनिजों के समस्त विक्रयों की कीमतें तथा अन्य समस्त विवरण।
 - (5) उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या, तकनीकी कार्मिकों की राष्ट्रियता, अर्हताएं तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए।
 - (6) अन्य तथ्य, विशिष्टियों तथा परिस्थितियों जिनके बारे में केन्द्र या राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करें और ऐसे अधिकारियों को ऐसे समयों पर, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार नियत करें, ऐसी समस्त या किन्हीं लेखा पुस्तकों के असली तथा सही संक्षिप्त सार और पूर्वोक्त समस्त या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी, विवरणियाँ, जैसा कि राज्य सरकार विहित करें, निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा ऐसे युक्तयुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करें उक्त लेखा-पुस्तकों, रेखाकों तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अवधि पहुंच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे।
11. रेखांक इत्यादि संधारित करना- पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर खान कार्यालय में उक्त भूमियों में की खानों के सही बोधगम्य, आदिनाक तथा सम्पूर्ण रेखांक संधारित करेगा/करेंगे, पट्टे के अधीन उक्त रेखांक में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त संक्रियाएं तथा खुदाई और उसके/उनके द्वारा की गई संक्रियाओं के अनुक्रम में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त खाईयाँ, गड्ढे तथा भू-वैज्ञानिक आंकड़े दर्शाये जायेंगे और ऐसे समस्त रेखांक, उस प्रयोजन के लिए किए जाने वाले ऐसे वास्तविक सर्वेक्षण से और उसके द्वारा, जो कि बारह मास या किसी ऐसी कालावधि के अन्त में, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, संशोधित किए जायेंगे तथा भर जायेंगे और पट्टेदार, राज्य सरकार को जब कभी अपेक्षित किए जाएं, ऐसे रेखाकों की सही तथा ठीक प्रतिलिपियां निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे, समस्त खाईयाँ, गड्ढों के शुद्ध अभिलेखों में-
- (क) वह अवमृदा तथा स्तर (स्ट्राटा) जिसमें वे हैं।
 - (ख) कोई खनिज जो मिला है।
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हित का कोई अन्य विषय और समस्त आंकड़े दर्शाए जायेंगे।
- पट्टेदार इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समस्त युक्तयुक्त समयों पर उसका निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा/करेंगे, जब कभी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जायें, उस क्षेत्र का एक ऐसा संयुक्त रेखांक भी प्रदाय करेगा/करेंगे जिसमें मोटाई, झुकाव, ढाल इत्यादि के साथ-साथ भण्डार के प्रकार के अनुसार मात्रा दर्शाई जाएगी।
12. तृतीय पक्षों को हुई क्षति के लिए प्रतिकार का भुगतान-पट्टेदार इस विलेख द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए गए समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए युक्तयुक्त तथा समाधानकारक प्रतिकार देगा तथा उसका भुगतान करेगा/करेंगे समस्त समयों पर ऐसे समस्त दावों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विरुद्ध जो कि ऐसे किसी नुकसानद्व क्षति या विघ्न के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए गए जाएं, राज्य सरकार कसे हानि रहित रूप से बचायेगा और क्षतिपूरित रखेगा, शासकीय भूमि की दिशा में कमशः 10 तथा 20 वर्षीय पट्टों के मामले में पट्टेदार भू-राजस्व के 30 तथा 60 गुना के बराबर प्रतिकार का भुगतान करेगा/करेंगे।
13. अन्य खनिजों की खुदाई में बाधा नहीं पहुँचाई नहीं जाएगी- पट्टेदार, एतद् द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग करेगा/करेंगे कि जिससे उक्त भूमियों के भीतर ऐसे किसी खनिज का, जो इस पट्टे में सम्मिलित नहीं है, के विकास तथा खुदाई में कोई अनावश्यक या युक्तयुक्त रूप से परिहार्य कोई बाधा या अवरोध न हो और समस्त समयों पर, यथास्थिति, उक्त भूमियों से निकट किसी भूमि में किसी ऐसे खनिजों या किन्हीं खनिजों के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकार तथा

(आर.के. पाण्डेय)

इंचक (सामान्य)

दि. एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वि. नं. १००/१९७३/१९७३

पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों या उत्खनन पट्टों के धारकों को ऐसे खनिजों को प्राप्त करने, खुदाई करने, विकास करने तथा उनको ले जाने के प्रयोजन के लिए उन तक उक्त भूमियों के उपर तथा उसके आर-पार युक्तियुक्त पहुंच मार्ग तथा रक्षित और सुविधाजनक पथ प्रदान करेगा/करेंगे। परन्तु यह कि पट्टेदार, ऐसे पट्टेदारों या पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा ऐसे पथ के उपयोग के कारण या परिणामस्वरूप उसे/उन्हें किसी नुकसान या क्षति के लिए युक्तियुक्त प्रतिकार प्राप्त करेगा/करेंगे।

14. पट्टे का अन्तरण पट्टेदार, मजूरी प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना—
- (क) उत्खनन पट्टा या उसमें के किसी अधिकारी, हक या हित को समनुदेशित नहीं करेगा/करेंगे, उप पट्टे पर नहीं देगा/देगें बंधक नहीं करेगा/करेंगे या किसी भी रीति से अन्तरित नहीं करेगा/करेंगे, या
- (ख) ऐसा कोई ठहराव, संविदा या समझौता नहीं करेगा/करेंगे, जिसके द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों का सारवान सीमा तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से वित्त पोषण होगा जिसके द्वारा या जिसके अधीन पट्टेदार की संकियाएं या कारबार सारवान रूप से पट्टेदार/पट्टेदारों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की निकाय द्वारा नियंत्रित की जाए।
- (ग) मजूरी प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा यदि उसकी राय से पट्टेदार/पट्टेदारों ने उपर दिये गये उपबंधों से किसी भी उपबंध को भंग किया है या नियम 35 में दिये गये अनुसार के सिवाय पट्टे या उसमें किसी अधिकार, हक या हित का अन्तरण किया है परन्तु यह कि, ऐसे कोई भी आदेश पट्टेदार/पट्टेदारों को उसका/उनका कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

15. पट्टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा— जब कभी रूपये, नियमानुसार का प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग या प्रतिभूति निक्षेप की पुनः पूर्ति करने, राज्य सरकार के पास इसमें इनके पश्चात् जमा की गई और रकम समपहत की जाये या इसमें इसके पश्चात् घोषित शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा उपयोग की आय, तब पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और रकम जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिभूति रकम के अविनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के पास जमा रकम को रूपये, नियमानुसार तक लाने के लिए पर्याप्त हो।

16. पट्टे का पर्यवसान किये जाने पर अच्छी हालत में खदान की राज्य सरकार की सुपुर्दगी—पट्टेदार उक्त अवधि या उसके नवीनीकरण का अवसान होने पर या ऐसी अवधि के पहले उसका पर्यवसान कर दिये जाने पर राज्य सरकार की समस्त खानें, गड्डे, जलमार्ग और अन्य कार्य जो अब विद्यमान हैं या जो इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि पर खोदे जाने वाले हैं या उस पर या उसके अधीन बनाये जाने वाले हैं, सिवाय उनके जिनका राज्य सरकार की मजूरी से परित्याग कर दिया है और किसी सामान्य या उचित कार्यकरण के प्रारम्भ होने समस्त इंजनों, मशीनरी, संयंत्र, भवनों, संरचनाएं, अन्य कार्य तथा सुविधायें, जो कि उक्त अवधि के प्रारम्भ होने के समय उक्त भूमि पर या उसके नीचे थे। तथा पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा स्थापित ऐसी समस्त मशीनरी जो कि खानों की क्षति पहुंचाये बिना निकाली नहीं जा सकती या उक्त भूमि के नीचे की खुदाई कार्य (सिवाय उसमें से ऐसे जो राज्य सरकार की मजूरी से काम में न लाने वाले हो गये हैं) और पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भूतल के उपर ईंटों या पत्थर से बनाये गये समस्त भवन तथा संरचनाएं, अच्छी मरम्मत की हालत में दशा में और उक्त खानों तथा उक्त खनिजों की और खुदाई के लिए समस्त दृष्टि से उपयुक्त हों, सुपुर्द करेगा/करेंगे।

17. अग्रकय का अधिकार—

- (क) राज्य सरकार को उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर एतद् द्वारा अन्तरित उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों या पट्टेदार/पट्टेदारों के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुए उक्त खनिजों को अग्रकय करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्टेदार संभव समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपलब्ध के अधीन राज्य सरकार द्वारा कय किए गए उत्पाद या खनिजों को, ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत् सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये सुपुर्द करेगा/करेंगे।

- (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए अग्रकय में लिए गए समस्त खनिजों या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो कि अग्रकय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो। परन्तु यह कि उक्त उचित बाजार कीमत की संरचना करने में सहायता करने की दृष्टि से पट्टेदार, यदि ऐसी अपेक्षा की जाये, राज्य सरकार को, उसकी गोपनीय जानकारी के लिए अन्य ग्राहकों को, बेचे गए उक्त खनिजों या उनके उत्पादों की मात्राओं, वर्णनों तथा कीमतों के लिए मालभाडे के लिए, उसका वहन करने के लिए किसे गये भाटक पत्र (चार्टर) के विवरण प्रस्तुत करेगा/करेंगे और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाये, ऐसे खनिजों का उत्पादों के विक्रय या मालभाडे के लिए पक्षकारों द्वारा की गई संविदाओं तथा भाटक-पत्रों की मूल या अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

- (ग) युद्ध स्थिति या आपात-काल के विद्यमान रहने की दशा में (जिसके विद्यमान रहने के बारे में भारत

(आर.के. पाण्डेय)

ब्रह्मक (सामान्य)

दि एम.बी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि.
जिला कार्यालय मिर्जा (म.प्र.)

खलि अधिकारी
जिला कार्यालय मिर्जा

के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक रहेंगे और भारत के राजस्व से इस आशय की अधिसूचना निश्चायक सबूत होगी) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को सहमति से, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर उक्त भूमियों पर या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों के कार्यों, संयंत्र, मशीनरी तथा परिसर का या इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं का तत्काल कब्जा तथा नियन्त्रण लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को एक लिखित सूचना द्वारा किया जायेगा) और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टेदार ऐसे कार्यों संयंत्रों, परिसरों तथा खनिजों के उपयोग करने या उन्हें काम में लाने के बारे में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए समस्त निर्देशों का अनुपालन तथा पालन करेगा/करेंगे।

परन्तु यह कि ऐसे उचित प्रतिकार का, जो कि राज्य सरकार द्वारा करार करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसके द्वारा अवधारित किया जाये, पट्टेदार/पट्टेदारों को, इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने में या उसके परिणामस्वरूप उसे/उन्हें हुए समस्त हानि या नुकसान का भुगतान किया जायेगा।

परन्तु यह कि और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, एतद् द्वारा, प्रदान की गई उक्त अवधि को पर्यवसित नहीं करेगा या इस विलेख के निबन्धकों तथा उपबन्धों को, इस खण्ड के उपबन्धों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यकता से अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

18. राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली-यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो कि उस निमित्त इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा किए जाते हैं या उनका पालन किया जाना है, उस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर नहीं किए जाते हैं या उनका पालन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार उन्हें करवा सकेगी या उनका पालन करवा सकेगी और पट्टेदार, मांग की जाने पर, राज्य सरकार को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा/करेंगे, जो कि इस प्रकार कार्य किए जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किये जाते हैं तथा ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य सरकार को विनिश्चय अन्तिम होगा।
19. अन्य बाध्यताएं - (क) पट्टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा/करेंगे।
(ख) पट्टेदार खान अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करेगा/करेंगे।
(ग) पट्टेदार स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुनरुद्धार, प्रदूषण नियन्त्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा/करेंगे जैसे कि कलेक्टर द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।
(घ) पट्टेदार, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अभिभोगी को प्रतिकार का भुगतान करेगा/करेंगे।
(ङ) पट्टेदार, नियोजन के विषय में, जनजातियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा/देगें।
(च) पट्टेदार नियमों में यथा उपबन्धित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पादन का परिवहन नहीं करेगा/करेंगे।

भाग आठ- राज्य सरकार की प्रसंविदाएं


1. पट्टेदार अधिकारों का निबन्ध रूप से धारण कर सकेगा/सकेंगे तथा उनका उपभोग कर सकेगा-पट्टेदार, एतद् द्वारा आरक्षित भाटकों तथा स्वामिस्वों का भुगतान करने पर और इसमें अन्तर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं तथा करारों का पालन तथा संपादन करने पर या पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से पालन तथा संपादन किए जाने पर, अधिकारों तथा परिसरों का, जो एतद् द्वारा पट्टान्तरित किए गए हैं तथा ऐसी अवधि के दौरान, जो कि, एतद् की जाती है, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसके अधीन दावा करें, बिना किसी अवैध विध्न के धारण करेगा/करेंगे या धारण कर सकेगा/कर सकेंगे और उनका उपभोग कर सकेगा/कर सकेंगे।
2. तृतीय पक्षों की भूमि का अर्जन तथा उसका प्रतिकर-यदि, इस अनुसूची के भाग सात के खण्ड 4 के उपबन्ध के अनुसार पट्टेदार, उक्त भूमियों के किसी भाग की सतह के दखलकार को किसी नुकसान या क्षति के लिए, पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रस्तावित संक्रियाओं के कारण उद्भव हो, प्रतिकार देने की प्रस्थापना करे और उक्त दखलकार राज्य सरकार को आरक्षित तथा इस विलेख द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टान्तरित किये गये हैं अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करने में अपनी सहमति देने से इंकार करे तो पट्टेदार इस वि. य की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा/करेंगे और उसके पास वा रकम जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिकर के रूप में प्रस्तावित की थी और यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्थापित रकम उचित तथा युक्तियुक्त है या यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है और पट्टेदार/पट्टेदारों ने उसके पास ऐसी और रकम, जैसी कि राज्य सरकार चित ती युक्तियुक्त समझे, तो सरकार खलकार को यह आदेश देगी कि वह पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त भूमि में प्रवेश करना और ऐसी संक्रियाएं करना अद्विजात करे, जैसे कि इस पट्टे के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, ऐसे प्रतिकार की रकम का निर्धारण करने में राज्य सरकार, भूमि-अर्जन अधिनियम के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी।


(आर.के. पाण्डेय)

8

प्रबन्धक (सामान्य)

दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमि.
जिला कार्यालय मिण्ड (म.प्र.)


खनिज अधिकारी
जिला कार्यालय मिण्ड (म.प्र.)

3. नवीकरण किया जाना-नियमों के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार उत्खनन पट्टा नवीकरण किये जाने योग्य है।

4. पट्टा पर्यवसित करने की स्वतन्त्रता -

(1) पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कलेण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा/सकेगी और ऐसी सूचना का अवसान होने पर, यदि पट्टेदार ऐसी अवसान होने पर समस्त भाटकों, स्वामिस्वों, नुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा/देगी और उसका भुगतान करेगा/करेगी जो कि उस समय शोध्य हो तथा इस विलेख के अधीनस्थ पट्टाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देय है और इस विलेख को राज्य सरकार को परिदत्त करेगा, तब यह पट्टा तथा उक्त अविध और एतद् द्वारा प्रदान की गई स्वतन्त्रताएं, शक्तियों तथा विशेषाधिकार आयतिक रूप से समाप्त हो जायेंगे किन्तु वे, इस विलेख में अन्तर्विष्ट किन्हीं प्रसंविदाओं या करार के, किसी भंग के सम्बन्ध में पट्टाकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

(2) मंजूरी प्राधिकारी, पट्टेदार द्वारा किए गए आवेदन पर उसे उसके पट्टे से, जो कि खनिजों के समूह के लिए हैं, एक या अधिक खनिजों को इस शर्त के अधधीन रहते हुए कि उस खनिज के भण्डार अब इस सीमा तक विशेष हो चुके हैं या उनका इस सीमा तक हास हो गया है कि उस खनिज के बारे में कार्य करना आर्थिक रूप से और आगे सम्भव नहीं है, अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा देगा, कि पट्टेदार-

(क) ऐसे खनिज के अभ्यर्पण के लिए आवेदन ऐसी आशयित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा। और

(ख) यह वचन देता है कि वह, इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उस खनिज के लिए बाद में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रुकावट कारित नहीं करेगा।

प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय- इस पट्टे या उसके किसी नवीकरण का पर्यावसान होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चयन करे, इस पट्टे के सम्बन्ध में भुगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का, जो राज्य सरकार के पास जमा है और जिसका उपयोग इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार/पट्टेदारों को प्रतिदाय कर दी जायेगी, प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।

सामान्य उपबन्ध

निरीक्षण में बाधाएं- इस मामले में जहाँ पट्टेदार या उसका/उनके अतरिती, समनुदेशिती उन अधिकारियों द्वारा, जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये हैं, प्रवेश किये जाने या निरीक्षण किये जाने का अनुज्ञात नहीं करता है, तो कलेक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देगा तथा उससे/उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वह/वे ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जायें, यह कारण बतलाये कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाय तथा उसका/उनके प्रतिभूति निक्षेप क्यों न समपहत कर लिए जाएं और यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में मंजूरी प्राधिकारी को समाधान पर्यन्त कारण बतलाने में असफल रहता है/रहते हैं तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहत कर सकेगा।

2. स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यक्तिक्रम करने तथा प्रसंविदाओं का भंग करने के मामले में शास्त्रि यदि पट्टेदार या उसका/उनके अन्तरिती या समनुदेशिती नियमों, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यक्तिक्रम करता/करते हैं या शर्तों में से किसी शर्त ताकि प्रसंविदा का, उचशर्तों को छोड़कर, जो कि, उपर प्रसंविदा 1 में निर्दिष्ट है, भंग करता है/करते हैं तो कलेक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों से यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना देगा कि वह/वे यथास्थिति, भाटक, स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार, सूचना की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर करे/करें और यदि ऐसे किसी समय के भीतर भाटक तथा स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उचार नहीं किया जाता है, तो मंजूरी प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कि उसके/उनके विरुद्ध की जा सकती है, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग समपहत कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग समपहत कर सकेगा या नियमों में तथा उपबन्धित शास्त्रि अधिरोपित कर सकेगा।

3. अपरिहार्य घटना के कारण पट्टे की शर्तों की पूर्ति करने में असफलता पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति करने में असफल रहने पर राज्य-सरकार पट्टेदार/पट्टेदारों के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगी या ऐसी सफलता को इस पट्टे को भंग नहीं समझा जाएगा, जहाँ तक कि ऐसी असफलता को उस सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण उदभूत होने वाली समझा जाता है और यदि अपरिहार्य घटना के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों तथा निबधनों में से किसी शर्तावधि तथा निबधन की पूर्ति में विलम्ब होता है, तो ऐसे विलम्ब की अवधि को इस पट्टे द्वारा नियत की गई कालावधि में जोड़ दिया जाएगा, इस खण्ड में अभिव्यक्ति "अपरिहार्य घटना" से अभिप्रेत है, देवीकृत, युध्द, विप्लव बलबा, सिविल अशांति, हडताल, भूकम्प, ज्वार भाटा, तूफान ज्वारिया लहर, बाढ,

(आर.के. पाण्डेय)

ब्रबंकर (सामान्य)

दि एम.डी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि.
जिला कार्यालय मिण्ड (म.प्र.)

9

खनि अधिकारी
जिला कार्यालय

तडित(लायटनिंग) विस्फोट, आग या अन्य कोई ऐसी घटना जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से निवारित या नियन्त्रित नहीं कर सकता था/कर सकते थे।

4. पट्टे का अवसान होने पर पट्टेदार उसकी/उनकी सम्पति हटा लेंगे-पट्टेदार, इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामिस्वों का प्रथमतः भुगतान करने पर तथा उन्हें उन्मोचित करने पर उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात् या उसका पूर्वतर पर्यावसान किये जाने के पश्चात् या उसके पश्चात् तीन कलेण्डर माह के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड 1 तथा 2 के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाए और उस मामले में पन्द्रह दिन से कम होने वाले समय में किसी भी समय ना कि ऐसे पर्यवसान से तीन कलेण्डर माह के भीतर) उसके/उनके फायदे के लिए, समस्त या किसी इन्जिन, मशीनरी, संयन्त्र, भवन, संरचना, ट्राम पथ तथा अन्य किसी कार्य, परिनिर्माण और सुविधाओं को, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हों या रखे गए हों, और जिन्हें पट्टेदार न नियमों के अधीन राज्य सरकार को परिदत्त करने के लिए वाध्य नहीं है/नहीं है, उठाये जा सकेंगे तथा हटाये जा सकेंगे।
5. पट्टा पर्यवसित किये जाने से तीन मास से अधिक समय के पश्चात् रहने दी गई सम्पति का सर्म्पण-यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के भाग-आठ के खण्ड 4 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अधीन उस अवधि के पूर्वतर पर्यावसान के प्रभाव होने से तीन कलेण्डर माह के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इन्जिन, मशीनरी, संयन्त्र, भवन, संरचनाएं, ट्राम पथ तथा अन्य कार्य, परिनिर्माण तथा सुविधाएं या अन्य सम्पति, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा उल्लेखन पट्टे के अधीन उसके द्वारा/उनके द्वारा धारित किन्हीं अन्य भूमियों में किए जाने वाले संकायों के सम्बन्ध में अपेक्षित नहीं है, तो वे उन्हें हटाया जाने की अपेक्षा करते हुए, कलेक्टर द्वारा पट्टेदारों को दी गई लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कलेण्डर माह के भीतर न हटाये जाए, तो वे उनके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई प्रतिकार देने या उस बाबत उन्हें कौफियत देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की सम्पति समझे जायेंगे तथा वे ऐसी रीति में, जैसे कि राज्य सरकार उचित समझे, विक्रय किए जा सकेंगे या उनका निपटारा किया जा सकेगा।
6. यह पट्टा, कलेक्टर खनिज शाखा भिण्ड(म.प्र.) में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अध्याधीन, पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच, एतद् द्वारा यह करार किया जाता है, कि पट्टे की शर्त, पट्टे के अधीन वसूलीय शोध्यों के सम्बन्ध में तथा पट्टेदार और पट्टेकर्ता के सम्बन्ध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में बाद (या अपीलें) भिण्ड स्थित(नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किये जायेंगे तथा स्पष्टतः करार किया जाता है कि उपर नामित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाइल करने या कोई कार्यवाही करने या याचिका फाइल करने के लिए पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार समक्ष नहीं होगा।
7. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित रूपये 2,81,25,00,000/- 10 वर्ष हेतु है। जिसके साक्ष्य में यह विलेख, प्रथमतः उपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

साक्षी :- खनिज अधिकारी
जिला-भिण्ड

- (1) Seway
(स्वामी सर्वेयर)
- (2) Nauman
अपेक्षित अधिकारी (एएफडी-3)

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए तथा उनकी ओर से

कलेक्टर
जिला भिण्ड
द्वारा हस्ताक्षरित
तारीख 29/09/2023

साक्षी :-
(1) राजेंद्र कुमार शर्मा
S/O सुन्दरलाल सायव

- (2) कपिल कुमार S/O राजेंद्र कुमार शर्मा

Notary

तारीख 29/09/2023 (ओर क. पाण्डेय)

विश्वामोहिनी स्टेट लॉ ऑफिस, कापीकरण विधि
जिला कार्यालय भिण्ड (म.प्र.)

परिशिष्ट-1
ई-निविदा सह नीलामी में सम्मिलित खदानों के समूह का ब्यौरा
समूह का नाम/क्रमांक-भिण्ड
जिला-भिण्ड

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 25.10.2023					समय- अपरान्ह 05:00 बजे		
क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. मै.)	अनुमानित मात्रा (घन. मी.)	आधार मूल्य (अपसेट पाईज रूप)
1	भिण्ड	भिण्ड	ओढ़ापाट	1254	4.000	24000	
2	भिण्ड	भिण्ड	जखमीली	1274,1290 (New - 121,1846)	4.150	37350	
3	भिण्ड	भिण्ड	कक्करा	1347, 1619, 2324, 2341	19.770	70579	
4	भिण्ड	भिण्ड	अतारसुगा	1115, 1171	4.000	3840	
5	भिण्ड	भिण्ड	खैरापशामपुरा -1	849, 855, 1486	1.702	12050	
6	भिण्ड	भिण्ड	खैरापशामपुरा -2	1486	9.752	7974	
7	भिण्ड	भिण्ड	खैरापशामपुरा -3	578, 599, 741, 787	7.060	14040	
8	भिण्ड	भिण्ड	खैरापशामपुरा -4	809, 810, 1486	7.216	19483	
9	भिण्ड	भिण्ड	चित्तवा	5234	3.500	53970	
10	भिण्ड	भिण्ड	दोघरा	2787	4.000	25920	
11	भिण्ड	भिण्ड	मटियावली -1	66, 75	14.710	55010	
12	भिण्ड	भिण्ड	मटियावली -2	452	15.210	81000	
13	भिण्ड	भिण्ड	मटियावली -3	514	17.650	93500	
14	भिण्ड	भिण्ड	गुरीरा	1	4.000	43200	
15	भिण्ड	भिण्ड	बहेतर	1	24.900	46924	
16	भिण्ड	भिण्ड	धौर-1	1, 2, 12, 45, 67	18.230	42814	
17	भिण्ड	भिण्ड	धौर-2	245, 246, 251	11.680	33024	
18	भिण्ड	भिण्ड	धौर-3	2, 47, 290	15.850	39000	
19	भिण्ड	भिण्ड	भारोलीकला	1713, 2278, 2435	11.170	122000	
20	भिण्ड	भिण्ड	मेरगांव	1212/5	7.000	105000	
21	भिण्ड	भिण्ड	मुसावली	1420	10.000	71000	
22	भिण्ड	भिण्ड	गौरम-1420	1567	7.780	46680	
23	भिण्ड	भिण्ड	गौरम-1472	3349, 3355, 3402, 3403, 3405	8.940	53640	
24	भिण्ड	भिण्ड	भारोलीचुर्द	801.	5.000	30000	
25	भिण्ड	भिण्ड	सडा	01, 360	9.000	62000	
26	भिण्ड	भिण्ड	अजीता	610	5.000	35200	
27	भिण्ड	भिण्ड	कछरपाट	546, 850	19.000	126500	
28	भिण्ड	भिण्ड	खैरोली	883	3.000	32400	
29	भिण्ड	भिण्ड	बछरीठा	545	2.970	36000	
30	भिण्ड	भिण्ड	बछरीली	445	3.000	18000	
31	भिण्ड	भिण्ड	बरेखैराज	1331	4.000	46560	
32	भिण्ड	भिण्ड	खैरियासिप	284, 515	13.000	117000	
33	भिण्ड	भिण्ड	बरेछीचुर्द-1	434	4.000	53500	
34	भिण्ड	भिण्ड	बरेछीचुर्द-2	542	4.000	52200	
35	भिण्ड	भिण्ड	बड़ेरा	66, 56, 66, 668	3.190	28710	
36	भिण्ड	भिण्ड	सांदरी	1, 208	13.510	172650	
37	भिण्ड	भिण्ड	इवक	01, 391	23.580	50933	
38	भिण्ड	भिण्ड	हिलगावा	472	3.220	8694	
39	भिण्ड	भिण्ड	लारोल	1	4.880	36307	
40	भिण्ड	भिण्ड	मुरतपुरा	1288, 1339	10.000	34450	
41	भिण्ड	भिण्ड	बहादुरपुरा	287	4.000	24000	
42	भिण्ड	भिण्ड	बघेलीप बहादुरपुरा	22	5.000	45900	
43	भिण्ड	भिण्ड	पढौरा-1	1201, 1139, (New- 629, 1209)	10.000	27000	
44	भिण्ड	भिण्ड	पढौरा-2	1	10.000	62000	
45	भिण्ड	भिण्ड	मैहदा	1	4.900	16200	
46	भिण्ड	भिण्ड	मैहदा-2	1	24.000	72000	
47	भिण्ड	भिण्ड	दहेमा-1	01, 02, 181	12.750	38250	
48	भिण्ड	भिण्ड	दहेमा-2	181	24.730	74190	
49	भिण्ड	भिण्ड	दहेमा-3	197/2, 200, 285 (NEW- 205, 739)	14.248	76939	
50	भिण्ड	भिण्ड	रेमजां	1, 2	5.000	75000	
51	भिण्ड	भिण्ड	महायर-1	2	4.000	42960	
52	भिण्ड	भिण्ड	महायर-2	01, 02, 9, 371, 372	20.140	120840	
53	भिण्ड	भिण्ड	नियसाई रिहिया-1	410	24.400	128000	
54	भिण्ड	भिण्ड	नियसाई रिहिया-2	410	2.000	18480	
55	भिण्ड	भिण्ड	नियसाई रिहिया-3	534	19.860	119740	
56	भिण्ड	भिण्ड	नियसाई 534-1	534	19.000	68500	
57	भिण्ड	भिण्ड	नियसाई 534-2	534	19.000	34200	
58	भिण्ड	भिण्ड	नियसाई 534-3	534	19.000	34200	
59	भिण्ड	भिण्ड	कौंच मडेयन-1	1	16.720	96720	
60	भिण्ड	भिण्ड	कौंच मडेयन-2	274	13.340	80040	
61	भिण्ड	भिण्ड	कौंच मडेयन-3	500	13.930	66600	
62	भिण्ड	भिण्ड	मानगड	1043, 1103	9.460	56760	
63	भिण्ड	भिण्ड	इन्दुची	3010/8, 3011/8, 3015/8, 3016/8, 3018/8	10.960	6950	
64	भिण्ड	भिण्ड	गिरासा नवीन	2638	21.102	122612	
65	भिण्ड	भिण्ड	गिरासा पुरानी	06, 210, 1325	10.000	65000	
66	भिण्ड	भिण्ड	सिलवारी -1	100 (NEW-48)	1.672	15048	
67	भिण्ड	भिण्ड	सिलवारी -2	258, 259	4.000	36000	
68	भिण्ड	भिण्ड	सिलवारी -3	751, 716	17.170	112000	
69	भिण्ड	भिण्ड	सगदुआ	185	2.000	15960	
70	भिण्ड	भिण्ड	चन्दविली	01, 20, 15	5.975	36095	
71	भिण्ड	भिण्ड	मडीरी	770	3.000	43380	
72	भिण्ड	भिण्ड	अजनार -1	1576	23.810	182860	
73	भिण्ड	भिण्ड	अजनार -2	1576	9.000	65200	
74	भिण्ड	भिण्ड			747.787	4088526	

कुल चिह्नित खदानें	72
कुल अनुमानित क्षेत्रफल	747.787
रैत खनिज वन अनुमानित भण्डार	4088526
निविदा हेतु निर्धारित खदानें	72
निविदा हेतु निर्धारित मात्रा (वार्षिक)	2250000
वार्षिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइस) रुपये में	56250000
ई0एम0डी0 (वार्षिक आधार मूल्य X 25 प्रतिशत) राशि ₹0 में	140625000

RM

(आर.के. पाण्डेय)

प्रबंधक (सामान्य)

दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
जिला कार्यालय भिण्ड (म.प्र.)

23 *(P)*

रखि अधिकारी
जिला भिण्ड







VAKALATNAMA
 [Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 18/2024
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

SUO MOTO ACTION ON THE NEWS PAPER ARTICLE PUBLISHED IN DAINIK JAGARAN DAILY DT 1ST FEBRUARY 2024 REGARDING ILLEGAL MINING IN BHIND DISTRICT MP AND ASSAULT ON THE POLICE PERSON BY THE ILLEGAL SAND MINER V/S STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.

I/We/Appellant/Claimant/Petitioner or Defendant/Respondent/Non-Applicant named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **7th March 2024**.

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature
R.R. Singh Sengar , Regional Officer, MPPCB Regional Office Bhopal.	Deen Dayal Nagar Housing Board colony Gwalior- 474006	9827234137 romppcb_gwallior @rediff.com	Officer-in- Charge	

Accepted

Name & Enrollment. No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023	advshivamdwwivedi20@gmail.com	8878471359	